मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'', बिट्टन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल–462016

याचिका क्रमांक 88/2012

उपस्थित :

राकेश साहनी, अध्यक्ष

ए. बी. बाजपेयी, सदस्य

आलोक गुप्ता, सदस्य

विषयः– विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 32(3) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र (राभाप्रेके), मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण

राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जबलपुर — याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर	प्रतिवादीगण
2	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल	
3	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	
4	म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	
5	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	
6	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (विशेष आर्थिक परिक्षेत्र) इंदौर	
7	नर्मदा हायड्रो–इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन, लिमिटेड, भोपाल	
8	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल	

आदेश (Order)

(आज दिनांक 10 अप्रैल, 2013 को पारित किया गया)

1. यह आदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र अथवा स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर (जिसे एतद् पश्चात् ''राभाप्रेके'' कहा गया है) द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे एतद् पश्चात् ''मप्रविनिआ'' या ''आयोग'' कहा गया है) के समक्ष दाखिल की गई याचिका क्रमांक 88, वर्ष 2012 से संबंधित है जो ''वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण (जिसे एतद् पश्चात् ''राभाप्रेके की टैरिफ याचिका'' कहा गया है) से संबंधित है। विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 31(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन द्वारा आदेश क्रमांक 2489/13/04 दिनांक 17.5.2004 द्वारा राज्य में विद्युत प्रणाली के समन्वित प्रचालन को सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र (State Load Despath Centre) को शीर्ष निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसका प्रचालन राज्य पारेषण इकाई (State Transmission Utility) द्वारा किया जाएगा, जिसे एतद् पश्चात् ''रापाई (STU)'' कहा गया है।

2. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 32(3) के अनुसार, राभाप्रेके (राज्य भार प्रेषण केन्द्र) विद्युत के राज्यान्तरिक पारेषण में संलग्न विद्युत उत्पादक कम्पनियों तथा अनुज्ञप्तिधारियों से ऐसे शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण कर सकेगा, जैसा कि राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। इसके पश्चात्, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 183 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ''कठिनाईयां दूर किया जाना'' संबंधी आदेश जो पारेषण प्रणालियों के उपयोग हेतु शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित है, दिनांक 8 जून, 2005 को {एसओ क्रमांक 795(ई)} द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार *''राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली, का उपयोग करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों से ऐसे शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण कर सकेगा जैसा कि इसे राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।''* तद्नुसार, अब राभाप्रेके प्रभार अनुज्ञप्तिधारियों/प्रयोक्ताओं द्वारा भुगतान योग्य है।

3. वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु राभाप्रेके का टैरिफ आदेश आयोग द्वारा 16.03.2012 को पारित किया गया था। राभाप्रेके द्वारा अपने पत्र क्रमांक 07–05/ईएण्डटी/645–X/711 दिनांक 30.11.2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु राभाप्रेके शुल्क तथा प्रभारों के अनुमोदन हेतु यह याचिका, दिनांक 5 मई, 2006 को जारी तथा दिनांक 19.5.2006 को प्रकाशित तथा अधिसूचित, मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम 2006) तथा अनुवर्ती संशोधन (जिन्हें एतद् पश्चात् ''विनियम'' कहा गया है) के अनुसार दाखिल की गई है। इसे याचिका क्रमांक 88, वर्ष 2012 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

4. प्रकरण में समावेदन सुनवाई (motion hearing) आयोग कार्यालय में दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 को आयोजित की गई। आयोग के आदेश दिनांक 19.12.2012 द्वारा याचिका को सुनवाई के लिये स्वीकार किया गया तथा याचिकाकर्ता को समस्त प्रतिवादियों को याचिका की एक प्रति तामील करने के निर्देश दिये गये। याचिकाकर्ता द्वारा तत्पश्चात यह पुष्टि भी की गई कि विषयान्तर्गत समस्त प्रतिवादियों को याचिका की एक प्रति तामील की जा चुकी थी।

5. आयोग के पत्र 3542 दिनांक 27.12.2012 द्वारा याचिकाकर्ता को कर्मचारी लागत (employee cost),

प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों (A&G expenses), मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों (R&M expenses), ब्याज तथा वित्त प्रभारों (Interest and Finance Charges), तुलन–पत्र (Balance Sheet) एवं वित्तीय विवरण–पत्रों (Financial Statements) तथा पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) के संबंध में अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश प्रसारित किये गये। याचिकाकर्ता को याचिका के सार के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रारुप, हितधारकों की टिप्पणियां/आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु, प्रस्तुत करने के निर्देश प्रसारित किये गये। याचिकाकर्ता ने अपने पत्र क्रमांक 98 दिनांक 10.1.2013 द्वारा प्रारुप सार्वजनिक सूचना आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की तत्पश्चात्, आयोग द्वारा उठाये गये मुद्दों के बारे में याचिकाकर्ता ने अपने पत्र क्रमांक 218 दिनांक 19.1.2013 से अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया।

जन सुनवाई (Public Hearing)

6. आयोग के पत्र क्रमांक 351 दिनांक 7.2.2013 द्वारा याचिकाकर्ता को आयोग द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक सूचना का हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण, विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव आमन्त्रित किये जाने बाबत, प्रकाशित करने के निर्देश दिये गये। आयोग के पत्र क्रमांक 352 दिनांक 7.2.2013 द्वारा समस्त प्रतिवादियों से याचिका के संबंध में टिप्पणियां/सुझाव चाहे गये। सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन चार हिन्दी समाचार–पत्रों (दैनिक पत्रिका–जबलपुर, राज एक्सप्रेस–इन्दौर, दैनिक भास्कर–ग्वालियर, तथा विन्ध्य भारत–रीवा) तथा एक अंग्रेजी समाचार–पत्र (पायनियर–भोपाल) में दिनांक 20.02.2013 को किया गया। जन सुनवाई आयोग के भोपाल स्थित कार्यालय में दिनांक 12 मार्च, 2013 को आयोजित की गई।

7. आयोग को निर्धारित की गई तिथि तक प्रतिवादियों/हितधारकों/आम जनता की ओर से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने अपने पत्र क्रमांक 745 दिनांक 7.3.2013 द्वारा सूचित किया कि उन्होंने दिनांक 7.3.2013 तक कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं किया था। प्रकरण में जन सुनवाई दिनांक 12.3.2013 को संचालित की गई। जन सुनवाई में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। जन सुनवाई में प्रतिवादियों/आमजन/हितधारकों की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

वार्षिक राजस्व आवश्यकता (Annual Revenue Requirement)

8. वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु राभाप्रेके द्वारा निम्न राजस्व आवश्यकता दाखिल की गई :

तालिका : 1 वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु कुल राजस्व आवश्यकता (राभाप्रेके द्वारा दाखिल किये गये अनुसार)

सरल क्रमांक	विवरण	राशि (लाख रूपये में)
01	कर्मचारी लागत (Emplolyee Cost)	795.20
02	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (Administrative and General Charges)	99.58
03	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (Repairs and Maintenance Expenses)	254.57
04	अवमूल्यन (Depreciation)	0.00
05	ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest and finance charges)	13.57
06	पूंजी/निवेश पर प्रतिलाभ (Return on equity/Investments)	0.00

07	आयकर हेतु प्रावधान (Provision for Income Tax)	0.00
वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु कुल राजस्व आवश्यकता		**1162.92**

9. याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान वास्तविक व्यय तथा अन्य शुल्क तथा प्रभारों से प्राप्त किये गये आय के विवरण, वित्तीय वर्ष 2011–12 की अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में वार्षिक राजस्व आवश्यकता के पुनर्मिलान/सत्यापन (reconciliation/ true-up) हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 की विषयवस्तु से संबंधित याचिका में निम्न तालिका में दर्शायेनुसार भी प्रस्तुत किये :

तालिका : 2 वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु सत्यापन (राभाप्रेके द्वारा दाखिल किये अनुसार (लाख रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2011–12 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में स्वीकृत किये गये अनुसार व्यय	वित्तीय वर्ष 2011–12 के वास्तविक व्यय	अन्तर (स्वीकृत–वास्तविक) जिसका पुनर्मिलान किया जाना है
कर्मचारी लागत	675.15	609.05	66.10
प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	85.09	39.93	45.16
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	215.98	195.82	20.16
ब्याज तथा वित्त प्रभार	0	0.03	–0.03
योग	976.22	844.83	131.39
घटायें : अन्य आय	(–) 150.00	(–) 151.54	1.54
मिलान की जाने वाली शुद्ध राशि	826.22	693.29	132.93

वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में पुनर्मिलान तथा समायोजित की जाने वाली शुद्ध राशि की गणना {(131.39–(–1.54)} अर्थात् रू. 132.93 लाख की गई है।

10. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(2)(जी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) विनियम 2004 (पुनरीक्षण प्रथम), 2006 अधिसूचित किया गया है, जिसे समय–समय पर संशोधित किया गया है। इन विनियमों के अनुसार, आयोग इस आदेश में राभाप्रेके प्रभारों के अतिरिक्त, शुल्क तथा प्रभारों के अवधारण का अनुमोदन करता है। आयोग ने इस आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु राभाप्रेके की वार्षिक राजस्व आवश्यकता निम्नानुसार अनुमोदित की है :

तालिका : 3 वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (मप्रविनिआ द्वारा अनुमोदित किये गये अनुसार)

सरल क्रमांक	विवरण	राशि (लाख रूपये में)
01	कर्मचारी लागत	792.62
02	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	69.58
03	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	254.57
04	ब्याज तथा वित्त प्रभार	0.00
कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता		**1116.77**
05	घटायें : अन्य आय	(–) 180.00

06	घटायें : समायोजन (वित्तीय वर्ष 2011–12 के सत्यापन हेतु)	(–) 132.93
वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु शुद्ध वार्षिक राजस्व आवश्यकता		**803.84**

11. वार्षिक राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों का आवंटन तथा विभिन्न शुल्कों तथा प्रभारों की प्रयोज्यता इस आदेश के साथ विस्तृत रूप से संलग्न है। इस आदेश के अंतर्गत अवधारित राभाप्रेके शुल्क तथा प्रभार दिनांक 1 अप्रैल 2013 से प्रभावशील होंगे तथा दिनांक 31 मार्च, 2014 तक प्रभावशील रहेंगे। याचिकाकर्ता को इस आदेश के कार्यान्वयन हेतु मप्रविनिआ (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतानयोग्य फीस) विनियम, 2004 की कण्डिका 1.30 के अनुसार सात (7) दिवस की सार्वजनिक सूचना देने के पश्चात् आवश्यक कदम उठाने होंगे तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से आगे की अवधि हेतु राभाप्रेके के दीर्घ अवधि खुली पहुंच क्रेताओं, हेतु नवीकरणीय स्त्रोतों को छोड़कर, देयकों की पुनर्गणना करनी होगी तथा आयोग को इस आदेश के परिपालन किये जाने संबंधी सूचना देनी होगी।

12. उपरोक्तानुसार आदेशित किया गया तथा संलग्न विस्तृत कारणों, आधार तथा शर्तों के साथ पढ़ा गया।

हस्ताक्षरित/–	**हस्ताक्षरित/–**	**हस्ताक्षरित/–**
(आलोक गुप्ता)	**(ए.बी. बाजपेयी)**	**(राकेश साहनी)**
सदस्य	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

स्थान : भोपाल
दिनांक : 10 अप्रैल, 2013

विषय–सूची		
		पृष्ठ क्रमांक
अध्याय–1	**वार्षिक स्थाई प्रभार**	7
	पूंजीगत व्यय	7
	प्रचालन तथा संधारण व्यय	18
	कर्मचारी व्यय	18
	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	21
	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	25
	अवमूल्यन, पूंजी पर प्रतिलाभ तथा आयकर	27
	ब्याज तथा वित्त प्रभार	27
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	29
	अन्य–संवैधानिक करों, उपकरों आदि का भुगतान	30
	अन्य आय	31
	वित्तीय वर्ष 2011–12 का सत्यापन	32
	वार्षिक राजस्व आवश्यकता की संक्षेपिका	35
	वार्षिक राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों का आवंटन	36
	शुल्क तथा प्रभारों की संक्षेपिका	37
अध्याय–2		39
	आयोग के दिशा–निर्देश	39

अध्याय–1

वार्षिक स्थाई प्रभार (Annual Fixed Charges)

पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण :

1.1 वित्तीय वर्ष 2012–13 के राज्य भार प्रेषण केन्द्र (राभाप्रेके) के टैरिफ आदेश के पैरा 1.8 में; आयोग द्वारा पाया गया कि याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान अनुमोदित की गई पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) के अलावा भी रू. 45.40 लाख के नवीन पूंजीगत निर्माण कार्य (new capital works) शामिल किये हैं। अतएव याचिकाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2012–13 की अनुवर्ती अवधि के लिये नई पंचवर्षीय पूंजीगत व्यय योजना प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश दिये गये। याचिकाकर्ता की वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान आयोग द्वारा इन वर्षों के दौरान अनुमोदित की गई पूंजीगत व्यय योजना के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण किये गये कार्यों के विवरण दाखिल करने के निर्देश भी दिये गये। तद्नुसार, याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य रूप से याचिका में तथा अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किये गये :

''मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण) विनियम, 2004 के विनियम 12.4 के अनुसार राभाप्रेके तथा उप भार प्रेषण केन्द्रों (Sub-LDCs) को राभाप्रेके शुल्क तथा प्रभारों संबंधी याचिका के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। आयोग द्वारा अवधि 2009–10 से 2013–14 हेतु राभाप्रेके की पंचवर्षीय पूंजीगत योजना वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश दिनांक 26.11.2009 द्वारा अनुमोदित की गई थी। इसके अतिरिक्त, राभाप्रेके के वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश में, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 से आगे की अवधि के लिये नवीन पंचवर्षीय योजना, वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु राभाप्रेके के प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण संबंधी याचिका के साथ प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश भी दिये गये हैं।

तत्संबंधी अवधि के संबंध में आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये पूंजीगत निर्माण कार्यों के परिप्रेक्ष्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान निष्पादित किये पूंजीगत निर्माण कार्यों के विवरण निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

तालिका : 4 ***परियोजनावार/योजनावार पूंजीगत व्यय (नवीन परियोजनाएं तथा निर्माण कार्य प्रगति पर)***

(समस्त आंकड़े लाख रूपये में)

सरल क्रमांक	*विवरण*	*अनुमोदित लागत*	*विलंब का कारण*	*वर्ष के दौरान वास्तविक/ अनंतिम व्यय*	*शेष राशि (अनुमोदित व्यय)*
अ.	*वित्तीय वर्ष 2009–10*				
1	*राभाप्रेके तथा उप–भाप्रेके हेतु पीएबीएक्स प्रदान करना*	*20.00*	*अन्तिम परीक्षण तथा क्रियाशील किया जाना वित्तीय वर्ष 2010–11 में पूर्ण किया गया*	*0.00*	

2	विद्यमान वातानुकुलून संयंत्र का प्रतिस्थापन (replacement)	65.00	कार्य वित्तीय वर्ष 2010–11 के शीतकाल में प्रारंभ किया गया (वित्तीय वर्ष 2012–13 में पूर्ण किया जाएगा)	0.00	
3	राभाप्रेके भवन के चहूं ओर सीमा दीवार का निर्माण कार्य	19.80	कार्य वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान पूर्ण किया गया	0.00	
4	अग्नि चेतावनी प्रणाली (Fire Alram System) का प्रतिस्थापन	22.42	निविदा संबंधी प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2010–11 में पूर्ण की गई	0.00	
5	ध्वनि अभिलेखन प्रणाली (Voice recording System) प्रदान करना	3.60	कार्य वित्तीय वर्ष 2011–12 में पूर्ण किया गया	0.00	
6	इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणाली तथा धातु–संसूचक (Meter Detectors) प्रदान करना	6.30	कार्य स्थगित रखा गया है	0.00	
7	राभाप्रेके के लिये कार्यालय फर्नीचर प्रदान करना	2.50	परिसम्पत्तियों की निष्क्रियता को रोकने के लिये कार्य वित्तीय वर्ष 2010–11 में पूर्ण किया गया	0.00	
	उप–योग	**139.62**		**0.00**	**139.62**
			पूर्व वर्ष से निधि का प्रारंभिक शेष	**139.62**	
ब.	**वित्तीय वर्ष 2010–11**		वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुमोदित की गई निधि	35.54	
1	कार्यालय उपकरणों का प्रावधान	6.00	कार्य वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान पूर्ण किया गया	1.63	
2	राभाप्रेके भवन में स्लैब निर्माण तथा नवीनीकरण कार्य	10.90	कार्य प्रगति पर है तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 में इसे पूर्ण कर लिया जाएगा	0.00	
3	राभाप्रेके में कांफ्रेन्स प्रणाली प्रदान करना	10.14	कार्य वित्तीय वर्ष 2012–13 में पूर्ण कर लिया जाएगा	0.00	
4	वैबसर्वर, वैबसाईट मय वैब–सामर्थ्य युक्त आंकड़ा आधार (web-enabled database) प्रदान करना	8.50	कार्य की प्राथमिकता के दृष्टिगत कार्य को वित्तीय वर्ष 2012–13 तक स्थगित रखा गया	0.00	
	उप–योग	**35.54**			
5	राभाप्रेके तथा उप–भाप्रे केन्द्रों हेतु पीएबीएक्स प्रदान करना	20.00	कार्य वित्तीय वर्ष 2010–11 में पूर्ण किया गया	16.38	
6	राभाप्रेके भवन के चहुं ओर सीमा दीवार का निर्माण कार्य	19.80	कार्य वित्तीय वर्ष 2010–11 में पूर्ण किया गया	19.80	
7	राभाप्रेके में फर्नीचर प्रदान करना	2.50	कार्य वित्तीय वर्ष 2010–11 में पूर्ण किया गया	2.50	
8	ऊर्जा लेखांकन सॉफ्टवेयर विकसित करना	8.30	कार्य वित्तीय वर्ष 2010–11 में पूर्ण किया गया	8.30	
	उप–योग	**50.60**		**48.61**	**126.55**
			पूर्व वर्ष से निधि का प्रारंभिक	**126.55**	

			शेष		
स.	***वित्तीय वर्ष 2011–12***		*वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुमोदित निधि*	*16.00*	
1	*राभाप्रेके में अतिरिक्त पार्किंग स्थल का निर्माण*	*4.00*	*प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान प्रारंभ किया जाएगा*	*0.00*	
2	*राभाप्रेके में स्वागत डेस्क तथा आगंतुक विश्राम कक्ष का निर्माण*	*2.00*	*प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान प्रारंभ किया जाएगा*	*0.00*	
3	*कृत्रिम छत तथा विद्युतीकरण प्रणाली का नवीनीकरण*	*10.00*	*प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान प्रारंभ किया जाएगा*	*0.00*	
4	***उप–योग***	***16.00***			
5	*वर्तमान वातानुकूलन संयंत्र (AC Plant)को बदला जाना*	*65.00*	*कार्य प्रगति पर (संयंत्र को वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान क्रियाशील किया जाएगा)*	*49.22*	
6	*राभाप्रेके भवन में स्लैब निर्माण तथा नवीनीकरण कार्य*	*10.90*	*कार्य प्रगति पर (कार्य वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान पूर्ण किया जाएगा)*	*4.63*	
7	*अग्नि चेतावनी प्रणाली का प्रतिस्थापन*	*9.56*	*कार्य प्रगति पर (कार्य वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान क्रियाशील किया जाएगा)*	*8.04*	
8	*ध्वनि अभिलेखन प्रणाली (voice recording system) प्रदान करना*	*3.60*	*कार्य वित्तीय वर्ष 2011–12 में पूर्ण किया गया*	*3.59*	
9	*राभाप्रेके तथा उप–भाप्रे केन्द्रों हेतु पीएबीएक्स प्रदान करना*	*20.00*	*स्थापना तथा क्रियाशील किये जाने संबंधी प्रभार*	*2.20*	
10	*फोटोकापी मशीन*	*1.37*	*वर्ष के दौरान क्रय की गई*	*1.37*	
11	*राभाप्रेके हेतु कार्यालय कम्प्यूटर तथा संलग्न सामग्री (peripherals) का प्रदाय*	*6.00*	*वर्ष के दौरान क्रय किये गये*	*2.27*	
	उप–योग	***116.43***		***71.32***	***71.23***
			चालू वर्ष हेतु निधि का अन्तिम शेष	***71.23***	

वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प्रस्तावित पूंजीगत व्यय योजना (Proposed Capital Expenditure Plan for FY 2012-13 to 2016-17)

1.2 वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2016–17 की आवर्ती पूंजीगत व्यय योजना (rolling capital expenditure plan) के संबंध में राभाप्रेके द्वारा मुख्य रूप से निम्न निवेदन किया गया :

''राज्य भार प्रेषण केन्द्र जबलपुर को पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं आंकड़ा संग्रहण (data acquisition) प्रणाली वाईड बैंड (Wide Band) संचार प्रणाली, सहायक ऊर्जा प्रदाय प्रणाली, आदि से अति आधुनिक प्रौद्योगिकी के जटिल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। भोपाल तथा इन्दौर स्थित उप–भाप्रे केन्द्रों को भी इसी प्रकार की प्रणालियां प्रदान की गई हैं। पश्चिमी क्षेत्र (WR) की एकीकृत भार प्रेषण (unified load despath) तथा संचार परियोजना के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत स्काडा (SCADA)/ईएमएस (EMS) प्रणाली तथा वाईड बैंड संचार प्रणाली प्रदान की गई है तथा प्रस्तावित किया गया है कि दोनों प्रणालियों की प्रतिस्थापना परियोजनाओं "Replacement/upgradation of SCADA/EMS Systems at WRLDC & SLDCs, of W.R" तथा "Master Communication Plan of WR" क्रमशः के अन्तर्गत कर दी जाएगी। राभाप्रेके के अंतर्गत उपलब्धता आधारित विद्युत–दर (Availability Based Tariff)/ऊर्जा लेखांकन (Energy Accounting) की प्रणाली भी प्रदान की गई है। उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के विश्वसनीय कार्य संचालन हेतु उचित वातावरण कायम रखे जाने की दृष्टि से राभाप्रेके में केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र की स्थापना भी की गई है।

विद्यमान प्रणाली के साथ–साथ पुरानी प्रणाली के प्रतिस्थापन के अतिरिक्त भी राभाप्रेके में नये उपकरण स्थापित किये जाने आवश्यक है। इन्दौर स्थित उप–भार प्रेषण केन्द्र भवन में पूंजीगत कार्यों (Capital Works) जैसे कि अतिरिक्त मंजिल (तल) का निर्माण मय वातानुकूल सुविधा, अग्नि चेतावनी प्रणाली (Fire Alarm System) इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणाली (electronic Security/System), आदि हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत नवीन स्काडा/ईएमएस/वाईड बैंड संचार प्रणाली स्थापित करने, उपलब्धता आधारित टैरिफ तथा ऊर्जा लेखांकन के उन्नयन (upgradation) के साथ–साथ नवकरणीय ऊर्जा वैब सर्वर तथा पूर्वसूचना प्रणाली (forecasting system), इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने तथा धातु संसूचक (metal detectors), कार्यालय उपकरण प्रदान करने, स्काडा/ईएमएस तथा वाईड बैंक संचार प्रणाली में आवर्धन तथा सिविल कार्यों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। निर्माणाधीन कार्य जैसे कि विद्यमान वातानुकूल संयंत्र को नवीन संयंत्र द्वारा प्रतिस्थापन करना, कान्फ्रेन्स प्रणाली की स्थापना, अग्नि चेतावनी प्रणाली का प्रतिस्थापन, मेजानिन फर्श का निर्माण, मेजानिन फर्श की साजसज्जा, प्रसाधनों का नवीनीकरण, पार्किंग स्थल का निर्माण, आदि के संबंध में अद्यतन स्थिति परियोजना प्रतिवेदन में सारबद्ध की गई है।

1.3 आवश्यकता तथा कार्य का विस्तार क्षेत्र (Necessity & Scope of Work)

राभाप्रेके स्काडा, उपलब्धता आधारित टैरिफ (ABT), वाईड बैंड संचार प्रणालियों तथा अन्य सहायक प्रणाली सेवाएं आवश्यक रूप से राज्य में विद्युत ग्रिड के विश्वसनीय, दक्ष, कार्य प्रणाली के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने (failsafe), अनुवीक्षण (monitoring) तथा प्रबन्धन हेतु अत्यावश्यक है। संबद्ध प्रणालियां, जैसे कि विद्युत प्रदाय तथा वातानुकूलन भी ग्रिड संचालन सेवाओं तथा राभाप्रेके तथा उप–भाप्रेके में संचालित किये जा रहे परिष्कृत उपकरणों के चौबीसों घंटे कार्यरत रहने के लिये सुनिश्चित करने हेतु भी अत्यावश्यक है। उपकरणों की विश्वसनीय तथा दक्ष कार्यप्रणाली के संचालन के अलावा भी इन्हें चोरी तथा किसी संभावित आतकंवादी आक्रमण से बचाव तथा सुरक्षा किया जाना भी अत्यावश्यक है। तद्नुसार, राभाप्रेके/उप–भाप्रेके में निम्न पूंजीगत निर्माण कार्य अगले पांच वर्षों के दौरान इन्हें चरणबद्ध रूप से निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है।

1.4 पूंजीगत व्यय हेतु भविष्यगामी योजना (Future Plan for Capital Expenditure)

वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित पूंजीगत कार्यों की सूची प्रस्तुत की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु राभाप्रेके की पंचवर्षीय आवर्ती पूंजीगत व्यय योजना केपैक्स योजना के अन्तर्गत आयोग के अनुमोदन हेतु पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रस्तावित पूंजीगत व्यय की पूर्ति राभाप्रेके की केपैक्स निधि से की जाएगी।

तालिका : 5 वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु राभाप्रेके द्वारा दाखिल की गई पूंजीगत व्यय योजना

(समस्त आंकड़े लाख रूपये में)

सरल क्रमांक	परियोजना/योजना/कार्य का विवरण	वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावित निधि की आवश्यकता				
		2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
अ.	**चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ण किये गये पूंजीगत निर्माण कार्य**					
1	कार्यालयीन हाल में मेजनीन स्लैब का निर्माण तथा राभाप्रेके भवन में प्रसाधनों का नवीनीकरण	7.40				
2	राभाप्रेके तथा उप–भाप्रे केन्द्रों हेतु यूपीएस तथा डीसीपीएस बैंक हेतु सेल बूस्टर चार्जर का क्रय	1.90				
3	राभाप्रेके जबलपुर में विद्यमान अग्नि चेतावनी प्रणाली का नई प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापन करना	0.80				
ब.	**चालू वर्ष के दौरान निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य/ प्रस्तावित कार्य**					
1	राभाप्रेके जबलपुर में विद्यमान अग्नि वातानुकूलन संयंत्र का नई प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापन	16.82				
2	राभाप्रेके में कृत्रिम छत तथा विद्युतीकरण कार्य का नवीनीकरण	40.00	8.00			
3	मेजानिन स्लैब का पार्टीशन (Partitioning) तथा साज–सज्जा कार्य	8.30				
4	राभाप्रेके में कांफ्रेन्स प्रणाली का प्रावधान	5.00	5.60			
	उप–योग (अ+ब)	**80.22**	**13.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ब.	**प्रस्तावित पूंजीगत निर्माण कार्य**					
1	400 केवी उपकेन्द्र इन्दौर स्थित उप–भाप्रेके कार्यालय भवन में अतिरिक्त मंजिल का निर्माण कार्य, मय वातानुकूलन, अग्नि चेतावनी आदि सुविधा के	5.00	40.00	27.00		
2	कर्मचारी सुविधाओं का नवीनीकरण	2.50				
3	वैब सर्वर तथा उपलब्धता आधारित टैरिफ तथा ऊर्जा लेखांकन प्रणाली का उन्नयन		150.00	150.00		

4	*राभाप्रेके तथा उप–भाप्रेके में कार्यालयीन उपकरणों का प्रावधान*	*4.50*	*5.00*		*5.00*	
5	*राभाप्रेके भवन में अवशेष प्रसाधनों का नवीनीकरण*		*9.00*			
6	*मेजानिन स्लैब के नीचे के स्थान में पार्टिशन कार्य तथा साज–सज्जा*		*13.00*			
7	*राभाप्रेके भवन में लिफ्ट तथा डक्ट (duct) प्रणाली का प्रावधान*		*10.00*			
8	*पुराने रिफ्लेक्टिंग पॉंड के ऊपर मेजनीन फर्श का निर्माण तथा इसकी साजसज्जा का कार्य*		*20.00*			
9	*राभाप्रेके में स्वागत डेस्क तथा आगन्तुक विश्राम कक्ष (visitor's lounge) का प्रावधान*			*10.00*		
10.	*परिसर में विकास कार्य के अन्तर्गत चट्टानों की कटाई का कार्य तथा सीमा दीवार के समीप समतलीकरण कार्य तथा राभाप्रेके के भवन के चारों ओर पैदल पथ (path way) का निर्माण कार्य*		*3.00*	*8.00*		
11.	*फायर हायड्रेन्ट व्यवस्था, नलकूप खनन, पम्प की स्थापना, आदि*		*10.00*	*5.00*		
12.	*राभाप्रेके में इलेक्ट्रानिक सुरक्षा प्रणाली, पहुंच नियंत्रण (access control) तथा धातु संसूचक (metal detectors) प्रदान करना*		*8.00*			
13	*राभाप्रेके में विभाजित वातुनुकूल (Split-AC) उपकरण प्रदान करना*			*4.00*		
14	*उप–भाप्रेके इन्दौर में स्थापित यूपीएस तथा डीसीपीएस के बैट्री बैंको का प्रतिस्थापन*					*30.00*
15	*राभाप्रेके भवन की परिधि में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान*			*5.00*		
16	*अतिरिक्त पार्किंग स्थल का निर्माण*		*8.00*			
17	*यूएचएफ कक्ष के बाजू में दो कमरों का निर्माण कार्य*		*3.00*			
	उप–योग (ब)	***12.00***	***279.00***	***209.00***	***5.00***	***30.00***
	योग (अ+ब)	***92.22***	***292.60***	***209.00***	***5.00***	***30.00***

1.5 निधि का आवश्यकता तथा उपलब्धता (Requirement and Availability of Fund)

मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण), विनियम 2004(पुनरीक्षण प्रथम) , वर्ष 2006 (आरजी–16, वर्ष 2006) की धारा 10.3 से संरेखित, दीर्घ–अवधि तथा लघु–अवधि खुली पहुंच क्रेताओं से प्राप्त की गई प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों की 50 प्रतिशत राशि का उपयोग राभाप्रेके की अधोसंरचना के विकास पर किया जाएगा। प्रस्तावित

पूंजीगत निर्माण कार्यों पर होने वाले व्यय की पूर्ति इस 50 प्रतिशत प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों से की जाएगी। पूंजीगत राशि (Capital Fund) (प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों की 50 प्रतिशत राशि) की उपलब्धता के विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के पूंजीगत व्यय संबंधी विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका : 6 दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में पूंजीगत निधि (Capex Fund)

(राशि लाख रूपये में)

सरल क्रमांक	*वित्तीय वर्ष*	*पूंजीगत निधि : प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों की 50 % राशि*	*पूंजीगत व्यय (स्थाई परिसम्पत्ति)*	*निधि की उपलब्धता*	*अभ्युक्ति*
1	2006–07	19.59	25.66		वास्तविक
2	2007–08	33.82	14.73		वास्तविक
3	2008–09	62.68	5.36		वास्तविक
4	2009–10	75.79	–		वास्तविक
5	2010–11	101.46	28.57		वास्तविक
6	2011–12	92.72	71.33		वास्तविक
		386.06	**145.65**	**240.41**	

1.6 *उपरोक्त कार्यों के संबंध में अगले पांच वर्षों के लिये निधि की कुल आवश्यकता तथा उपलब्धता (संशोधित पुनरीक्षित तालिका जिसे राभाप्रेके के पत्र क्रमांक 218 दिनांक 19.01.2013 द्वारा प्रस्तुत किया गया है के अनुसार) को निम्न तालिका में सारबद्ध किया गया है :*

तालिका : 7

वर्षवार प्रस्तावित आवश्यकता तथा निधि की उपलब्धता (लाख रूपये में)							
सरल क्रमांक	*वर्ष*	*2012–13*	*2013–14*	*2014–15*	*2015–16*	*2016–17*	*योग*
1	पूंजीगत व्यय (Capex) हेतु निधि की उपलब्धता	100.00	115.00	132.25	152.09	174.90	674.24
2	पूर्व वर्ष का अवशेष	**240.41**	248.19	70.59	–6.16	140.93	
3	कुल उपलब्ध पूंजीगत व्यय (1+2)	340.41	363.19	202.84	145.93	315.83	
4	पूंजीगत व्यय की आवश्यकता	92.22	292.60	209.00	5.00	30.00	628.82
5	संचयी आधिक्य (3–4)	248.19	70.59	–6.16	140.93	**285.83**	

प्रत्येक वर्ष की अवशेष पूंजीगत व्यय निधि को अनुवर्ती वर्षों की पूंजीगत व्यय आवश्यकता की पूर्ति हेतु अग्रेनयन (Carry forward) किया जाएगा।

1.7 लागत लाभ विश्लेषण (Cost Benefit Analysis)

उप–भार प्रेषण केन्द्रों (Sub-LDCs), राज्य भार प्रेषण केन्द्र, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (RLDC) पर स्काडा तथा संचार प्रणालियों को चौबीसों घंटे संधारित रखा जाना आवश्यक होता है ताकि मैदानी क्षेत्रों से वास्तविक समय आंकड़ों (real time data) के प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके। विद्युत अवरोध (tripping) तथा अन्धेरा छा जाने (black out) जैसे अवसरों को न्यूनतम किये जाने के प्रयोजन हेतु समस्त मप्र राज्य के पावर स्टेशनों तथा महत्वपूर्ण उपकेन्द्रों की भार प्रेषण प्रणाली की उचित तथा दक्ष विधि द्वारा संचालन हेतु महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, यह अनिवार्य है कि राभाप्रेके/उप–भाप्रे केन्द्रों पर उचित सुरक्षा

व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य रक्षक (hygienic) तथा प्रवर्त्तक (conductive) कार्यस्थल सुनिश्चित किया जाएं। प्रस्तावित पूंजीगत व्यय योजना का उद्देश्य ऐसी सहायक प्रणाली सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का है तथा इसके द्वारा उचित प्रशिक्षण प्रदान करने तथा तकनीकी सम्मेलनों के संचालन तथा एलडी नियंत्रण केन्द्रों में स्थापित किये गये विभिन्न जटिल उपकरणों की बेहतर बचाव तथा सुरक्षा व्यवस्था की आन्तरिक विशेषज्ञता (inhouse expertise) के विकास में निश्चित रूप से योगदान प्रदान किया जाएगा। ये सुविधाएं भार प्रेषण अनुप्रयोग (Load Despatch Application) हेतु बुनियादी सुविधाओं का एकीकृत भाग होंगी तथा ऊर्जा प्रबन्धन, संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग, विद्युत अवरोध (breakdowns) के दौरान न्यूनतम व्यवधान तथा प्रणाली की त्वरित पुनर्स्थापना के लिये अमूर्त रूप से लाभप्रद होंगी।

1.8 राभाप्रेके के प्रमाणित कच्चे चिट्ठे (trial balance) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006–07 से पूंजीगत व्यय के पृथक लेखों हेतु वास्तविक रूप से उपगत (incurred) वर्षवार विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है :

तालिका : 8 (राशि लाख रूपये में)

वित्तीय वर्ष	व्यय की श्रेणी (लेखा संकेत)			वर्षवार योग
	स्थाई परिसम्पत्तियां (10)	निर्माण कार्य प्रगति पर (14)	सामग्री प्रदायकर्ताओं को अग्रिम प्रदाय (25)	
2006–07	25.66	–	7.67	33.33
2007–08	14.73	–	1.21	15.94
2008–09	5.36	0.9	–4.02	2.24
2009–10	–	–	26.86	26.86
2010–11	28.57	–	–24.23	4.34
2011–12	9.43	61.89	–6.7	64.62
दिनांक 31.3.12 की स्थिति में अन्तिम शेष	83.75	62.79	0.79	147.33

1.9 वित्तीय वर्ष 2006–07 से राभाप्रेके द्वारा प्राप्त किये गये प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों में से पूंजीगत व्यय हेतु चिन्हित की गई निधि में से अर्जित ब्याज से संबंधित वर्षवार विवरण नीचे उद्धरित किये गये हैं। जैसा कि एमपीपीटीसीएल के वित्तीय प्रकोष्ठ द्वारा सूचित किया गया है, वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु वित्तीय वर्ष के दौरान ब्याज की गणना हेतु औसत ब्याज 8.92 प्रतिशत लिया गया है। विवरणों को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका : 9 (राशि लाख रूपये में)

सरल क्रमांक	वित्तीय वर्ष	वर्ष हेतु औसत ब्याज दर	पूंजीगत निधि : प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों की 50% राशि	पूंजीगत व्यय (स्थाई परिसम्पत्ति+निर्माण कार्य प्रगति पर + अग्रिम)	निधि का वार्षिक शेष	निधि का संचित शेष	कुल ब्याज राशि
1	2006–07	8.60%	19.59	33.33	–13.74		निरंक
2	2007–08	7.50%	33.82	15.94	17.88	4.14	0.16
3	2008–09	7.50%	62.68	2.24	60.44	64.58	2.58
4	2009–10	6.00%	75.79	26.86	48.93	113.51	5.34
5	2010–11	8.26%	101.46	4.34	97.12	210.63	13.39
6	2011–12	8.92%	92.72	64.62	28.10	238.72	20.04

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

1.10 वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश दिनांक 26.11.2009 में आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु राभाप्रेके की पंचवर्षीय पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) अनुमोदित की गई थी।

राभाप्रेके द्वारा याचिका के साथ वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 20011–12 हेतु वास्तविक प्रगति तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु पूंजीगत व्यय योजना प्रस्तुत की गई है। राभाप्रेके को उपरोक्त पूंजीगत व्यय योजना के बारे में निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश दिये गये :

(अ) पूर्व की पूंजीगत व्यय योजना को कतिपय शर्तों के साथ अनुमोदित किया गया था जिनका उल्लेख वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश के पैरा 1.3 में भी किया गया था। याचिकाकर्ता को यह पुष्टि करने हेतु निर्देश दिये गये कि क्या आयोग द्वारा अनुमोदित की गई पूंजीगत व्यय योजना के क्रियान्वयन में इन शर्तों का परिपालन किया गया है।

(ब) याचिकाकर्ता को यह प्रमाणित करने के निर्देश दिये गये कि पूर्व की पूंजीगत व्यय योजना में अनुमोदित कार्य जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सम्पन्न किया गया है, को प्रस्तावित पूंजीगत व्यय योजना में शामिल नहीं किया गया है।

(स) याचिका के साथ संलग्न परिशिष्ट सीपी–1 के शीर्षक में उल्लेख किये गये वित्तीय वर्षों में टंकण त्रुटि पाई गई।

(द) उप–भार प्रेषण केन्द्र, इन्दौर में उपलब्धता आधारित टैरिफ तथा ऊर्जा लेखांकन (EA System) के उन्नयन तथा स्थापित किये गये यूपीएस तथा डीसीपीएस प्रणाली के बैट्री बैंडों का पुनर्स्थापन क्रमशः वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त प्रस्तावों को योजना के मध्यकाल तथा अन्तिम वर्षों में लिये जाने के कारण चाहे गये।

(ई) वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत याचिका के पैरा–3 में दर्शाई गई तालिका के क्रमांक 4 पर पूंजीगत व्यय आवश्यकता रू. 281.10 लाख प्रदर्शित की गई है जबकि वित्तीय वर्ष 2013–14 की पूंजीगत व्यय आवश्यकता परिशिष्ट सीपी–1 में रू. 292.60 लाख प्रदर्शित की गई है। ये दोनों आंकड़े विसंगति प्रदर्शित करते हैं, अतएव इन दो आंकड़ों की भिन्नता के बारे में राभाप्रेके से स्पष्टीकरण चाहा गया।

1.11 प्रत्युत्तर में, राभाप्रेके द्वारा अपने पत्र क्रमांक 218 दिनांक 19.1.2013 में निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया :

''(अ) निवेदन है कि राभाप्रेके द्वारा दिनांक 26.11.2009 को जारी टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2009–10 के पैरा 1.5 में उल्लेखित शर्तों का पालन किया गया है।

(ब) राभाप्रेके की वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की

गई पूंजीगत व्यय योजना, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है, परन्तु जो आंशिक रूप से पूर्ण की गई है, को पूंजीगत व्यय योजना में शामिल किया गया है। तथापि, आंशिक रूप से पूर्ण किये गये कार्य के संबंध में अवशेष पूंजीगत आवश्यकता को ही योजना में शामिल किया गया है। पूर्व में पूर्ण किये गये पूंजीगत निर्माण कार्यों को प्रस्तावित पूंजीगत व्यय योजना में शामिल नहीं किया गया है।

(स) परिशिष्ट सीपी–1 में टंकण त्रुटि में सुधार कर लिया गया है तथा संशोधित सीपी–1 की प्रतिलिपि संलग्न की गई है।

(द) (i) राभाप्रेके की विद्यमान एबीटी प्रणाली को मेसर्स कल्की कम्यूनिकेशन टेकनालोजीज़ लि बेंगलुरू द्वारा आदेश क्रमांक ईडी (टी एण्ड पी) क्रमांक 04–01/03749–7/एस/एस–V दिनांक 4.4.2006 के परिपालन में प्रदाय किया गया है। जैसा कि याचिका में उल्लेख किया गया है, वर्तमान प्रणाली की परिसीमाओं/प्रतिबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यमान एबीटी प्रणाली के उन्नयन/प्रतिस्थापन संबंधी योजनाओं के संबंध में पहल किया जाना आवश्यक हो गया है ताकि आधुनिक आधार पर तैयार किये गये हार्डवेयर के अनुसार नवीनतम साफ्टवेयर रूपान्तरण प्राप्त किया जा सके। एबीटी प्रणाली के उन्नयन/प्रतिस्थापन की प्रक्रिया पूर्व में प्रारंभ की जा चुकी है तथा अपेक्षा की जाती है कि इसे वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 में पूर्ण कर लिया जाएगा (अर्थात वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्तिम त्रैमास तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रथम त्रैमास में)।

(ii) राभाप्रेके तथा उप–भाप्रेके यूपीएस तथा डीसीपीएस प्रणाली के बैटरी बैंक वर्ष 2005–06 में स्थापित तथा क्रियाशील किये गये थे तथा इनकी वर्तमान कार्य प्रणाली की वस्तुस्थिति के अनुसार इनके वर्ष 2016–17 तक सेवा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

तद्नुसार उपलब्धता आधारित टैरिफ (ABT) तथा ऊर्जा लेखांकन (EA) प्रणाली का कार्य वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में निष्पादित किये जाने का प्रावधान किया गया है तथा राभाप्रेके/उप–भाप्रे केन्द्रों की बैटरी बैंक का प्रतिस्थापन वर्ष 2016–17 में निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है।

टंकण की त्रुटि के कारण पृष्ठ क्रमांक 97 के पैरा–3 पर दर्शाई तालिका के सरल क्रमांक 4 में रू. 292.60 के स्थान पर रू. 281.10 लाख दर्शाया गया है। वर्षवार प्रस्तावित आवश्यकता तथा आगामी पांच वर्ष हेतु निधि की उपलब्धता टंकण त्रुटि के सुधार के बाद परिशिष्ट–3 में दर्शाई गई है।''

1.12 आयोग द्वारा पाया गया है कि राभाप्रेके द्वारा निधि की आवश्यकता प्रस्तावित योजना अवधि के दौरान उसकी स्वयं की रू. 628.82 लाख की आवश्यकता के विरूद्ध रू. 674.24 लाख दर्शाई गई है। ऐसे में, अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय की आवश्यकता के विरूद्ध उपलब्धता अधिक होने के कारण, आधिक्य पूंजीगत व्यय निधि का संचित अवशेष (cumulative balance) रू. 240.41 लाख (दिनांक 1.4.2012 की स्थिति में) से बढ़कर रू. 285.83 लाख (दिनांक 31.3.2017 की स्थिति में) हो जाने की संभावना है।

1.13 उपरोक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए तथा विनियमों के उपबन्धों के अनुसार आयोग याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई उपरोक्त उल्लेखित पूंजीगत व्यय योजना (Cpaex Plan) को निम्न शर्तों के

अध्यधीन सैद्धान्तिक अनुमोदन (in-principle approval) प्रदान करता है :

1.13.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र (राभाप्रेके) द्वारा पूंजीगत व्यय निधि को उचित प्रकार से लेख्यांकित करना होगा तथा पूंजीगत व्यय निधि पर बैंक से अर्जित किये गये ब्याज को भी लेख्यांकित करना होगा।

1.13.2 राभाप्रेके को मुख्य कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करना होगा ताकि राभाप्रेके को सेवाओं में सुधार द्वारा यथोचित लाभ मिल सके। अन्य हितधारकों (Stakeholders) को भी इन कार्यों से समयबद्ध रूप से लाभ प्राप्त होने चाहिए। अतएव, राभाप्रेके को यथासम्भव सर्वोत्तम विधि द्वारा तथा अनुमोदित वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत कार्यों को समयबद्ध रूप से निष्पादित किये जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी।

1.13.3 राभाप्रेके को सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित अवधि से अधिक समय लगने पर, यदि कोई हो, तो वह लागत वृद्धि में परिणत नहीं होगा। राभाप्रेके को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य निष्पादन में निर्धारित समयावधि से अधिक समय लगने के कारण लागतों में होने वाली कोई भी वृद्धि, बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप तथा भारत स्थित अन्य राज्य भार प्रेषण केन्द्रों, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों के अनुरूप होनी चाहिए। आयोग शुल्क तथा प्रभारों के अवधारण के प्रयोजन से अनुचित बढ़ी हुई किसी भी लागत को अनुज्ञेय नहीं करेगा।

1.13.4 राभाप्रेके द्वारा वस्तुओं, उपकरणों, कलपुर्जों, की कीमत स्थापना (Installation)/क्रियाशील (commissioning) किये जाने संबंधी व्यय, माल ढुलाई का भाड़ा आदि हेतु सामग्री प्रदायकर्ता/विक्रेताओं (vendors) द्वारा बोली गई/प्रभारित की गई दरों को उचित रूप से विश्लेषित तथा सत्यापित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके द्वारा वहन की गई लागत, अच्छे गुणवत्ता कार्य हेतु कीमत न्यूनतम संभव विद्यमान बाजार दर के अनुरूप है।

1.13.5 राभाप्रेके को भविष्य में शुल्कों तथा प्रभारों के अवधारण हेतु प्रत्येक कार्य की अद्यतन भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का प्रतिवेदन राभाप्रेके द्वारा दाखिल की गई याचिका के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न करना होगा।

1.13.6 यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कि योजनाओं का निष्पादन प्रभावित न हो तथा इसके साथ ही प्रस्ताव अनुसार आधार लागत पर अधिप्राप्त की जा रही सामग्री का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है, किसी अतिरिक्त वित्तीय दायित्व के परिवर्जन हेतु, राभाप्रेके को समयबद्ध प्रक्रिया नियोजित किये जाने का परामर्श दिया जाता है।

1.13.7 याचिकाकर्ता के अनुसार, इस राशि की वित्तीय व्यवस्था आंतरिक स्त्रोतों से, अर्थात् शुल्क तथा प्रभारों के माध्यम से की जाएगी। आयोग द्वारा राभाप्रेके हेतु योजना के विरूद्ध वास्तविक व्यय का अनुवीक्षण किया जाएगा। अनुवर्ती वर्षों हेतु पूंजीगत व्यय का पुनर्विलोकन तथा अनुमोदन तत्संबंधी टैरिफ आदेश के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा।

प्रचालन तथा संधारण व्यय (Operation and Maintenance (O&M) Expenses) :

1.14 प्रचालन तथा संधारण (O & M) व्ययों में कर्मचारी व्यय, प्रशासनिक एवं सामान्य (A & G) व्यय तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण (R & M) व्यय शामिल होते हैं। पूर्व के वर्षों में वास्तविक प्रचालन तथा संधारण व्ययों की अद्यतन स्थिति तथा जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा इसे वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु दाखिल किया गया है, निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका : 10 प्रचालन एवं संधारण व्यय (लाख रूपये में)

स. क्रं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08	वित्तीय वर्ष 09	वित्तीय वर्ष 10	वित्तीय वर्ष 11	वित्तीय वर्ष 12	वित्तीय वर्ष 13	वित्तीय वर्ष 14
		वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	जैसा कि इसे टैरिफ आदेश में अनुमोदित किया गया है	राभाप्रेके द्वारा याचिका में प्रस्तावित
1	कर्मचारी व्यय	216.22	249.41	328.81	454.98	538.59	609.05	723.48	795.20
2	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	14.86	13.59	26.86	21.59	40.07	39.93	92.14	99.58
3	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	8.41	7.46	24.97	106.10	167.72	195.82	250.78	254.57
	योग	**239.49**	**270.45**	**380.64**	**582.67**	**746.38**	**844.83**	**1066.40**	**1149.35**

कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

1.15 याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से निम्न निवेदन किया है :

''वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु कर्मचारी लागत की गणना राभाप्रेके तथा उप–भाप्रेके के अन्तर्गत दिनांक 31.10.2012 की स्थिति में कार्यरत कर्मचारी संख्या (Working Strength) के आधार पर की गई है। कर्मचारी लागत प्रक्षेपणों में एक सहायक यन्त्री, आठ कनिष्ठ यन्त्री (JE)/संयंत्र पर्यवेक्षक (Plant Supervisor), तीन लाईन परिचारक (Line attendent) तथा चार डाटा पंच आपरेटर, जिन्हें वित्तीय वर्ष 13–14 में नियोजित किया जाना प्रस्तावित है, का प्रावधान भी किया गया है। इस प्रकार, कर्मचारी लागत की कुल गणना रू. 795.20 लाख (प्रपत्र–F.4) की गई है। अन्य रिक्तपदों, सेवानिवृत्ति पर देय सेवान्त प्रसुविधाओं (Terminal Benefits) (जैसे कि पेंशन, उपदान तथा सेवानिवृत्ति पर देय अर्जित अवकाश नगदीकरण) पर विचार नहीं किया है।

1.16 इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि कर्मचारी व्ययों के प्रक्षेपण में निम्न अवधारणाएं की गई हैं :

(अ) *आगामी वर्ष हेतु कर्मचारी लागत की गणना दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 की स्थिति में की गयी है। कर्मचारी लागत में कर्मचारी व्यय, जैसे कि एक सहायक यन्त्री, आठ कनिष्ठ यन्त्री, तीन लाईन परिचारक तथा चार डाटा पंच आपरेटरों जिन्हें वित्तीय वर्ष 2013–14 में नियोजित किया जाना प्रस्तावित है, के कर्मचारी व्ययों का प्रावधान शामिल किया गया है। राभाप्रेके तथा उप–भाप्रे केन्द्रों के अन्य रिक्त पदों के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है।*

(ब) याचिका में राभाप्रेके के 31.10.2012 की स्थिति में स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों के विवरण दाखिल किये गये हैं।
कर्मचारी व्ययों के संबंध में अन्य मुख्य अवधारणाएं निम्नानुसार की गई हैं :

(i) चूंकि रिक्त पदों के प्रावधान के संबंध में विचार नहीं किया गया है, इस हेतु आवश्यक समायोजन बाद में किसी तिथि को किया जाएगा, यदि आगामी वर्ष में रिक्त पदों की पूर्ति कर ली जाती है।

(ii) एमपीपीटीसीएल कर्मचारियों के लिये वर्तमान मंहगाई भत्ते की दर माह अगस्त 2012 से प्रभावशील 65 प्रतिशत है जबकि केन्द्रीय शासन के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की दर माह जुलाई 2012 से प्रभावशील 72 प्रतिशत है। इसके अलावा, राज्य शासन के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को माह नवम्बर, 2012 से 72 प्रतिशत पुनरीक्षित किया गया है। उपरोक्त तथा वर्ष 2013–14 के दौरान मंगाई भत्ते में सामान्य वृद्धि के आधार पर मंहगाई भत्ते की दर प्रथम छः माह हेतु 72 प्रतिशत तथा शेष छः माह हेतु 78 प्रतिशत मानी गई है।

(iii) आगामी वर्ष हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रति कर्मचारी की दर रू. 450/– प्रति माह मानी गई है।

(iv) नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अन्तर्गत कम्पनी अंशदान मूल वेतन के दस प्रतिशत की दर से ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये किया जा रहा है जिनकी नियुक्ति कम्पनी संवर्ग में की गई है। तद्नुसार, आगामी वर्ष हेतु कम्पनी लागत प्रक्षेपण हेतु नेशनल पेंशन स्कीम का प्रावधान किया गया है। कम्पनी संवर्ग के अन्तर्गत अधिकारियों तथा कर्मचारियों हेतु वेतन संरचना की गणना एमपीपीटीसीएल द्वारा नव नियुक्त कर्मचारियों के लिये अधिसूचित वेतन नियमावली भत्ता (wage manual allowance) के आधार पर तथा कम्पनी संवर्ग के ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों हेतु जो ह्यूमन कैपिटल मेनुअल लागू होने से पूर्व नियुक्त किये गये हैं, की गणना पुरानी वेतन संरचना के अनुसार की गई है।

(v) माह जनवरी, 2006 से माह अगस्त 2008 तक के वेतन पुनरीक्षण की बकाया राशि का भुगतान माह अगस्त, 2010 से 60 बराबर किस्तों में किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 के दौरान देय बकाया राशि (12 किस्तों में) को प्रत्येक कर्मचारी को वैयक्तिक रूप से भुगतान की जा रही वास्तविक किस्तों के आधार की गणना रू. 28.46 लाख की गई हैं तथा इसका प्रावधान वित्तीय वर्ष 2013–14 के कर्मचारी लागत प्रक्षेपणों में किया गया है।

(vi) प्रशिक्षण व्ययों से संबंधित प्रक्षेपण, स्काडा (SCADA)/ईएमएस (EMS) ''मैन पावर सर्टिफिकेशन, इन्सेंटिव्स एण्ड रिंग फैंसिंग'' समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुसार संसूचना, कम्प्यूटर प्रणालियों तथा प्रणाली प्रचालकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण अर्हताओं पर विचार करते हुए किये गये हैं।

(vii) आयोग ने पूर्व वर्ष हेतु राभाप्रेके शुल्क तथा प्रभारों से संबंधित आदेश में अनुग्रह राशि/बोनस हेतु प्रावधान अनुज्ञेय नहीं किये गये हैं, अतएव वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किये गये हैं।

(viii) मप्रविनिआ के वित्तीय वर्ष 2006–07 के राभाप्रेके शुल्क तथा प्रभारों संबंधी याचिका संबंधी आदेश के दिशा–निर्देशों के अनुरूप वार्षिक राजस्व आवश्यकता में टर्मिनल प्रसुविधाओं पर विचार नहीं किया गया है।

(ix) याचिका में कर्मचारी छूट (employee rebate) हेतु रू. 2.58 लाख का प्रावधान विद्युत प्रभारों के लिये किया गया है। यह प्रावधान आनुषंगिक दायित्व (contigent liability) हेतु किया गया है यदि इनका भुगतान/प्रतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

1.17 आयोग के पत्र क्रमांक 3452 दिनांक 27.12.2012 के माध्यम से याचिकाकर्ता से निम्न विवरण चाहे गये थे :

(अ) ''कर्मचारियों को भुगतान किये गये वेतन तथा भत्तों से संबंधित विवरण। क्या वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान नियुक्त किये जाने वाले 16 कर्मचारियों को याचिका में प्रतिवेदित 93 की कार्यकारी संख्या में शामिल कर लिया गया है ?''

(ब) ''राभाप्रेके ने रू. 2.58 लाख का दावा रू. 250/– प्रति माह कर्मचारी की दर से रियायती दर पर विद्युत प्रदाय हेतु किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान इस मद के अन्तर्गत किये गये वास्तविक व्यय तथा इस प्रावधान के संबंध में कारणों से अवगत कराया जाए।''

1.18 प्रत्युत्तर में, राभाप्रेके ने पत्र क्रमांक 218 दिनांक 19.1.2013 द्वारा निम्नानुसार निवेदन किया गया :

(अ) ''याचिका के प्रपत्र प्रपत्र (F-4) में वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु कुल कर्मचारी लागत का प्रक्षेपण रू. 795.20 लाख माह अक्टूबर 2012 में 93 कर्मचारियों की कार्यकारी संख्या के आधार पर किया गया है। माह नवम्बर 2012 में दो कर्मचारियों तथा एक संविदा कर्मचारी द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई है। तथापि, याचिका में उल्लेखित 93 की कर्मचारी संख्या में 16 कर्मचारियों की संख्या को जिन्हें वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान नियोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। दिनांक 8.1.2013 की स्थिति में पुनरीक्षित अद्यतन कर्मचारी स्थिति प्रपत्र (OC-I) में संलग्न की गई है। नियोजित की जाने वाली 16 कर्मचारियों की संख्या में 9 कर्मचारियों की राभाप्रेके में पदस्थापना की जा चुकी है तथा इन्हें अद्यतन स्थिति में शामिल कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान नियोजित किये जाने वाले शेष 7 कर्मचारियों में से तीन की पदस्थापना राभाप्रेके में प्रशिक्षु के रूप में की जा चुकी है तथा इन्हें वित्तीय वर्ष 2013–14 में नियमित किया जाना प्रस्तावित है। अतएव, वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु राभाप्रेके की कर्मचारी लागत रू. 795.20 लाख की गणना कर्मचारी संख्या 104 (103 नियमित + एक संविदा कर्मचारी) तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान नियोजित किये जाने वाले सात कर्मचारियों के आधार पर की गई है। कर्मचारी लागत की गणना परिशिष्ट–1 में संलग्न की गई है।

(ब) रियायती दर पर विद्युत प्रदाय के संबंध में रू. 250/– प्रति माह प्रति कर्मचारी का

प्रावधान कर्मचारियों को विद्युत प्रभारों में दी जा रही 50 प्रतिशत छूट के आधार पर किया गया है। इस हेतु रू. 2.58 लाख का प्रावधान इस सुविधा की आनुषंगिक दायित्व की पूर्ति हेतु किया गया है, यदि इसका भुगतान/प्रतिपूर्ति भविष्य में किया जाना अपेक्षित हो। रियायत की मानी गई दर का एक मुश्त प्रावधान किये जाने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। अतएव, आयोग द्वारा इस संबंध में कर्मचारियों को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय हेतु रू. 2.58 लाख के प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की जाए।

1.17 आयोग द्वारा पाया गया है कि याचिका में सेवान्त प्रसुविधाओं, जैसे कि भविष्य निधि (PF) उपदान (Gratuity) तथा पेंशन हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा अवकाश नगदीकरण, अवकाश यात्रा भत्ता, अधिसमय (overtime), प्रोत्साहनों, अनुग्रह राशि (ex-gratia)/बोनस आदि बावत कोई दावा नहीं किया गया है। किसी प्रकार के कर्मचारी व्यय को भी पूंजीकृत नहीं किया गया है।

1.18 वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अनुज्ञेय किये गये कर्मचारी संबंधित व्ययों के विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु इनके पूर्वानुमानों को निम्न तालिका में सारबद्ध किया गया है :

तालिका : 11 राभाप्रेके द्वारा दावा किये गये कर्मचारी व्ययों के विवरण (लाख रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2012–13 (टैरिफ आदेश में अनुज्ञेय किये गये अनुसार)	वित्तीय वर्ष 2013–13 (राभाप्रेके द्वारा किये गये दावे के अनुसार)
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वास्तविक कार्यरत कर्मचारी संख्या	87	104
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में स्वीकृति कर्मचारी संख्या	135	135
मूल वेतन, मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त वेतन, मुख्य भत्ते आदि	665.04	735.92
अन्य भत्ते/व्यय	58.44	59.28
सकल कर्मचारी व्यय	**723.48**	**795.20**
(घटायें) : पूंजीकृत किये गये व्यय	0.00	0.00
शुद्ध कर्मचारी व्यय	**723.48**	**795.20**

1.19 वेतन से संबंधित विवरणों का सूक्ष्म परीक्षण करते समय, आयोग द्वारा पाया गया कि विभिन्न मदों से संबंधित प्रावधान जिन पर आयोग द्वारा पूर्व टैरिफ आदेश(ों) में विचार नहीं किया गया था, के बारे में राभाप्रेके द्वारा इस टैरिफ आदेश के अन्तर्गत दावा नहीं किया गया है। यह भी पाया गया है कि राभाप्रेके के कर्मचारी के आवासीय परिसरों के विद्युत देयक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा सीधे कर्मचारियों को प्रेषित किये जाते हैं तथा कर्मचारी छूट वैयक्तिक देयकों में ही प्रदान की जाती है। इस लिये रू. 2.58 लाख के दावे को इस आदेश में अनुज्ञेय नहीं किया जा रहा है। अतएव आयोग वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु रू. **792.62** लाख के शुद्ध कर्मचारी व्ययों को सत्यापन के अध्यधीन स्वीकृति प्रदान करता है।

प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (Administrative & General Expenses)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)

1.20 वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा राभाप्रेके तथा उप–भार प्रेषण केन्द्रों हेतु रू. 99.58 लाख का दावा किया गया है। आगामी वर्ष हेतु प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों की गणना

निम्न मदों को मान कर की गई है :

(i) ***बीमा (Insurance)*** *: आगामी वर्ष के दौरान बीमा प्रभारों हेतु रू. 0.22 लाख का एकमुश्त प्रावधान किया गया है।*

(ii) ***दूरभाष व्यय (Telephone expenses)*** *: सामान्य समुच्चय (Pool) सेवाओं के माध्यम से प्रस्तावित की गई संसूचना सुविधाओं पर विचार नहीं किया गया है। तथापि, राभाप्रेके/उप–भाप्रेके के अधिकारियों के लिये प्रस्तावित संसूचना सुविधा हेतु व्ययों को शामिल किया गया है। प्रस्तावित व्ययों के विवरण परिशिष्ट AG-I में संलग्न किये गये हैं।*

(iii) ***परामर्श प्रभार (Consultant Charges)*** *: परामर्शी प्रभारों के संबंध में प्रक्षेपण आईएसओ 9001–2008 हेतु राभाप्रेके प्रमाणीकरण (Certification), सायबर सुरक्षा अंकेक्षण (cyber Security Audit), ऊर्जा अंकेक्षण (Energy Audit) तथा भविष्य की डब्लूएएमएस/स्काडा प्रणाली/मास्टर संचार प्रणाली हेतु योजना को तैयार किये जाने तथा भवन नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण गतिविधि बाबत परामर्शी सेवाओं की प्राप्ति हेतु किये गये हैं।*

(iv) ***यात्रा व्यय (Travel expenses)*** *: वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु यात्रा व्यय के प्रक्षेपण वित्तीय वर्ष 2012–13 में उल्लेख किये गये के अनुरूप ही रखे गये हैं।*

(v) ***वाहनों को भाड़े पर लिया जाना (Hiring of Vehicles)*** *: मुख्य अभियंता (राभाप्रेके) हेतु केवल एक ही वाहन की व्यवस्था की गई है। उप–भाप्रे केन्द्रों हेतु किसी भी वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है तथा राभाप्रेके हेतु एक अतिरिक्त वाहन तथा दो उप–राभाप्रेके में प्रत्येक हेतु एक–एक वाहन का प्रावधान आगामी वर्ष हेतु किया गया है।*

(vi) ***सुरक्षा/सेवा प्रभार (Security/Service Charges)*** *: राभाप्रेके के लिए पूर्व से ही चौबीस घंटे दो सशस्त्र सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था बाह्य स्त्रोतों से की जा चुकी है। आगामी वर्ष के लिये सुरक्षा प्रभारों के प्रक्षेपण चालू वर्ष के दौरान सुरक्षा सेवाओं संबंधी जारी किये गये आदेश के आधार पर किया गया है।*

(vii) ***शुल्क तथा पुस्तकों तथा पत्रिकाओं हेतु अंशदान (Fee and Subscriptions Books and Periodicals)*** *: वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु शुल्क तथा पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के अंशदान हेतु रू. 8.85 लाख के वास्तविक व्यय में मुख्य रूप से पश्चिमी क्षेत्र पावर कमेटी (डब्लूआरपीसी) का शुल्क शामिल है। तथापि, चालू तथा आगामी वर्ष के लिये ''डब्लूआरपीसी शुल्क'' तथा ''पुस्तकों तथा पत्रिकाओं हेतु शुल्क तथा अंशदान'' पृथक–पृथक दर्शाए गए हैं।*

(viii) ***स्टेशनरी व्यय (Stationery Expenses)*** *: स्टेशनरी व्ययों की गणना विभिन्न प्रतिवेदनों को तैयार करने में बढ़ी हुई आवश्यकताओं, पूंजीगत निर्माण कार्यों के बढ़े हुए दायित्वों, उपलब्धता आधारित विद्युत दर (ABT)/खुली पहुंच, विद्युत अधिनियम, विनियामक तथा विधिक विषयों आदि को दृष्टिगत रखते हुए की गई है।*

(ix) ***विद्युत प्रभार (Electricity Charges)*** *: कार्यालयीन विद्युत प्रभारों हेतु प्रावधान राभाप्रेके जबलपुर के वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु वास्तविक विद्युत देयकों तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु वातानुकूलन संयंत्रों (AC) के प्राक्कलित विद्युत भार (estimated load) के आधार पर किया गया है।*

(x) ***विधिक व्यय (Legal Expenses)*** *: विधिक व्ययों की गणना, विभिन्न विधिक विषयों तथा विनियामक मामलों पर विचार करते हुए की गई है।*

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

1.21 आयोग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 3452 दिनांक 27.12.2012 के माध्यम से याचिकाकर्ता से निम्न स्पष्टकीरण चाहे गये थे :

(अ) ''राभाप्रेके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु रू. 99.58 लाख के प्रशासन एवं सामान्य व्ययों की गणना की गई है। वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु वास्तविक व्यय रू. 39.93 लाख दर्शाये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु रू. 99.58 लाख के उच्चतर व्ययों के दावे के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान किया जाए।''

(ब) ''राभाप्रेके के कार्यालय हेतु विद्युत प्रभारों हेतु रू. 30.00 लाख का प्रावधान किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा इस शीर्ष के अन्तर्गत पूर्व वर्ष/चालू वर्ष के वास्तविक मासिक व्यय के विवरण प्रस्तुत किये जाएं।''

1.22 राभाप्रेके द्वारा अपने पत्र क्रमांक 218 दिनांक 19.1.2013 के माध्यम से निम्न स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये :

(अ) ''वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु वास्तविक प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों (प्रपत्र–F-5) की राशि रू. 39.93 लाख के विरूद्ध रू. 99.58 लाख के प्रस्तावित व्ययों का अन्तर मुख्यतः निम्न घटकों के कारण है :

(i) ***विद्युत प्रभार (Electricity Expenses)*** *: कार्यालय हेतु विद्युत प्रभारों के लिये रू. 30.00 लाख का प्रावधान राभाप्रेके जबलपुर के वित्तीय वर्ष हेतु 2012–13 हेतु वास्तविक प्रभारों तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु वातानुकूल संयंत्र के प्राक्कलित विद्युत भार के आधार पर किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु वास्तविक व्ययों को पुस्तकों में समायोजित कर लिया गया है तथा यह व्यय राभाप्रेके के कच्चे चिट्ठे (trial balance) में प्रदर्शित नहीं किया गया है।*

(ii) ***परामर्शी प्रभार (Consultancy Charges)*** *: परामर्श प्रभारों के लिये रू. 10.00 लाख का प्रक्षेपण सायबर सुरक्षा अंकेक्षण, ऊर्जा अंकेक्षण तथा राभाप्रेके के आईएसओ 9001:2008 प्रमाणीकरण के नवीनीकरण, भवन नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण गतिविधि के लिये किया गया है। वित्तीय वर्ष हेतु 2011–12 हेतु इस शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक व्यय केवल 0.04 लाख था। सायबर सुरक्षा अंकेक्षण के क्रियान्वयन हेतु आदेश पूर्व में जारी किया जा चुका है।*

(iii) ***सुरक्षा प्रभार (Secuirty Charges)*** *: प्रत्येक पाली के दौरान दो सशस्त्र सुरक्षा गार्डों के नियोजन हेतु बाह्य स्त्रोतों (Outsourcing) के माध्यम से रू. 9.50 लाख का प्रावधान किया गया है। सशस्त्र सुरक्षा गार्डों की सेवाएं बाह्य स्त्रोत से दिनांक 24.12.2010 से प्राप्त की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु वास्तविक व्यय रू. 7.85 लाख था। वर्तमान प्रावधान पूर्व में निष्पादित अन्तिम संविदा पर आधारित है।*

(iv) *राभाप्रेके/उप–भाप्रेके हेतु चार वाहनों को भाड़े पर प्राप्त किये जाने हेतु रू. 10.56 लाख का प्रक्षेपण किया गया है। इस शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु वास्तविक व्यय केवल रू. 2.22 लाख था क्योंकि वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान केवल एक ही वाहन भाड़े पर प्राप्त किया गया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु चार वाहन प्रस्तावित किये गये हैं।''*

(ब) *''कार्यालय हेतु विद्युत प्रभारों के लिये रू. 30.00 लाख का प्रावधान राभाप्रेके, जबलपुर के वित्तीय वर्ष हेतु 2012–13 हेतु वास्तविक प्रभारों तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु वातानुकूल संयंत्र के प्राक्कलित विद्युत भार के आधार पर किया गया है। अवधि अप्रैल, 2012 से अक्टूबर, 2012 हेतु मासिक विद्युत प्रभार परिशिष्ट–2 में संलग्न है। यहां यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि माह सितम्बर तथा अक्टूबर 2012 हेतु मासिक विद्युत प्रभार, वातानुकूलन संयंत्र की स्थापना के उपरान्त क्रमशः रू. 3.56 लाख तथा रू. 3.16 लाख हो गये हैं। अतएव, रू. 30.00 लाख का प्रावधान मात्र न्यूनतम है।''*

1.23 वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय के विरूद्ध जैसा कि इनका दावा राभाप्रेके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु किया गया है, को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका : 12 राभाप्रेके द्वारा दावा किये गये प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों के विवरण (लाख रूपये में)

विवरण	वर्ष 2012–13 (टैरिफ आदेश में अनुज्ञेय किये गये अनुसार)	वर्ष 2013–14 (विषयवस्तु याचिका में दाखिल किये गये अनुसार)
प्रशासनिक व्यय (दूरसंचार यात्रा, मप्रविनिआ/डब्लूआरपीसी शुल्क, आदि)	45.03	52.46
अन्य प्रभार (मुद्रण एवं स्टेशनरी, कार्यालयों हेतु विद्युत प्रभार अतिथि–सत्कार, विविध व्यय, आदि)	9.11	9.12
कार्यालय हेतु विद्युत प्रभार	30.00	30.00
विधिक प्रभार	3.00	3.00
सामग्री से संबंधित व्यय	5.00	5.00
सकल प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	**92.14**	**99.58**
घटायें : पूंजीकृत किये गये व्यय	0.00	0.00
शुद्ध प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	**92.14**	**99.58**

1.24 यह पाया गया है कि राभाप्रेके द्वारा प्रत्युत्तर दिनांक 19.1.2013 के अनुसार परिशिष्ट–2 में प्रस्तुत किये गये देयक केवल रू. 10.61 लाख की राशि ही प्रदर्शित करते हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान कुल प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों की राशि रू. 39.93 लाख थी तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों की सत्यापन राशि (–) रू. 45.16 लाख है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के तुलन–पत्र में प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों के अन्तर्गत विद्युत व्ययों की राशि

प्रदर्शित नहीं की गई है। राभाप्रेके द्वारा स्वयं इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि वास्तविक विद्युत व्ययों का समायोजन पुस्तकों में किया जा चुका है तथा इन्हें राभाप्रेके के कच्चे चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं किया गया है। अतएव आयोग द्वारा इस आदेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु **रू. 69.58 लाख** के प्रशासनिक एवं पूर्व सामान्य व्ययों का अनुमोदन किया जाता है। वास्तविक व्ययों पर विचार समुचित रूप से सत्यापन प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा।

मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय {Repair and Maintenance (R&M) Expenses}

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)

1.25 याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य रूप से निम्नानुसार निवेदन किया गया :

''वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों का प्राक्कलन रू. 254.57 लाख किया गया है। इसमें शामिल है स्काडा/ईएमएस तथा वाईड बैंड संचार प्रणाली के दीर्घकालीन सेवा अनुबन्ध (LTSA), उपलब्धता आधारित विद्युत दर संगणक प्रणाली (ABT computer system) की वार्षिक अनुरक्षण संविदा, सहायक विद्युत प्रणाली की अनुरक्षण लागतें, वीडियो प्रक्षेपण (Video Projection) प्रणाली, (प्रणाली सहायता सेवाओं (support services) का संधारण तथा भवन का अनुरक्षण। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान सिविल अनुरक्षण कार्यों, मुख्यतः प्रतिधारक दीवार (Retaining wall), स्वच्छंता/जलप्रदाय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, उद्यान का विकास/भू–दृश्य, (landscaping) आदि हेतु प्रावधान किया गया है।''

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

1.26 आयोग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 3452 दिनांक 27.12.2012 के माध्यम से याचिकाकर्ता से निम्न जानकारी चाही गई थी :

''वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान भवन तथा सिविल कार्यों के लिये मरम्मत तथा संधारण व्ययों की राशि रू. 3.38 लाख है जबकि वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत रू. 32.00 लाख के व्यय प्रक्षेपित किये गये हैं। इतनी उच्च राशि का प्रक्षेपण किये जाने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए।

1.27 राभाप्रेके ने अपने पत्र क्रमांक 218 दिनांक 19.1.2013 द्वारा निम्न निवेदन किया गया :

''वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मरम्मत तथा संधारण व्यय रू. 254.57 लाख (प्रपत्र F-6 के अनुसार) प्राक्कलित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान सिविल अनुरक्षण हेतु वास्तविक व्यय मात्र रू. 3.38 लाख है, तथापि वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान सिविल अनुरक्षण कार्यों के लिये रू. 32.00 लाख का प्रक्षेपण किया गया है। जैसा कि याचिका के खण्ड 7.3 में निवेदन किया गया है, वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान सिविल अनुरक्षण कार्यों में मुख्यतः प्रतिधारक दीवार (Retaining wall) का निर्माण कार्य, स्वच्छता/जलप्रदाय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, उद्यान का विकास कार्य/भू–दृश्य आदि का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान सिविल अनुरक्षण कार्यों के विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं'' :

तालिका : 13

सरल क्रमांक	*कार्य का विवरण*	*राशि लाख रूपये में*
1	*राभाप्रेके भवन का सामान्य अनुरक्षण तथा उद्यान का संधारण*	*06.00*
2	*प्रतिधारक दीवार (Retaining Wall) का निर्माण कार्य*	*15.00*
3	*जाली (wire mesh)का विस्तार कार्य तथा दो माईल्ड स्टील गेटों का प्रदाय तथा स्थापना का कार्य*	*01.00*
4	*मुख्य अभियंता (भार प्रेषण) कक्ष का सुधार कार्य*	*02.00*
5	*विविध मरम्मत तथा दिन–प्रतिदिन अनुरक्षण कार्य*	*03.00*
6	*स्वच्छता/जलप्रदाय प्रणाली में सुधार/सुदृढ़ीकरण*	*0.3.00*
7	*उद्यान विकास/सौंदर्यीकरण तथा भू–दृश्य कार्य*	*02.00*
	योग	***32.00***

1.28 आयोग द्वारा पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के तुलनपत्र में वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान कुल रू. 195.82 लाख के मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय प्रदर्शित किये गये हैं जिनमें रू. 169.31 लाख तथा रू. 22.85 लाख के व्यय का मुख्य भाग क्रमशः संयंत्र तथा मशीनरी एवं कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरणों पर किया गया।

1.29 वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश में मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2013–14 में राभाप्रेके में दावा किये गये व्ययों की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :

तालिका : 14 मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों के विवरण **(लाख रूपये में)**

विवरण	**वित्तीय वर्ष 2012–13 (टैरिफ आदेश में अनुज्ञेय किये गये अनुसार)**	**वित्तीय वर्ष 2013–14 (मूल याचिका के अनुसार)**
संयंत्र तथा मशीनरी	213.38	221.17
भवन तथा सिविल कार्य	36.00	32.00
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	0.70	0.70
कार्यालय उपकरण	0.70	0.70
सकल मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	**250.78**	**254.57**
(घटाये) : पूंजीकृत किये गये व्यय	0.00	0.00
शुद्ध मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	**250.78**	**254.57**

1.30 आयोग द्वारा पाया गया है कि मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों में प्राक्कलित वृद्धि मुख्य रूप से संयंत्र तथा मशीनरी एवं रिंग फेंसिंग संबंधी सिविल कार्यों के कारण है। किसी भी मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय को पूंजीकृत (Capitalize) नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु **रू. 254.57 लाख** के मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय को, इस व्यय के सत्यापन के अध्यधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अवमूल्यन, पूंजी पर प्रतिलाभ तथा आयकर (Depreciation, RoE and Income Tax)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)

1.31 याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य रूप से निम्न निवेदन किया गया :

''म.प्र. शासन ने राभाप्रेके की परिसम्पत्तियों को एमपीपीटीसीएल के एक भाग के रूप में चिन्हांकित किया है। विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्दिष्ट की गई विधि तथा दरों के अनुसार 'सरल रेखा विधि (Straight Line Method) के उपयोग द्वारा अवमूल्यन राशि की गणना रूपये 37.79 लाख की गई है। पूंजी पर प्रतिलाभ (RoE) की गणना रूपये 19.43 लाख, मानदण्डीय ऋण तथा पूंजी का अनुपात 70:30 को आधार मान कर की गई है। आयकर राशि की गणना रू. 6.30 लाख की गई है। तथापि, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–2009 हेतु शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण संबंधी पारित आदेशों के अनुरूप इन प्रभारों को वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु राभाप्रेके की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में शामिल नहीं किया गया है।''

आयोग द्वारा विश्लेषण (Commission's Analysis)

1.32 आयोग ने पाया है कि याचिकाकर्ता द्वारा किसी प्रकार के अवमूल्यन तथा पूंजी पर प्रतिलाभ हेतु अनुरोध नहीं किया गया है क्योंकि म.प्र. शासन के आदेश दिनांक 12 जून, 2008 के अनुसार राभाप्रेके हेतु कोई पृथक प्रारंभिक तुलन–पत्र (Balance Sheet) अधिसूचित नहीं किया गया है। आयोग याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करता है तथा अवमूल्यन के लिए कोई भी राशि इस आदेश से अनुमोदित नहीं की गई है।

ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest & Finance Charges)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)

1.33 याचिकाकर्ता द्वारा निम्नानुसार निवेदन किया गया :

''ब्याज तथा वित्त प्रभारों में केवल एक ही घटक होता है, अर्थात् कार्यकारी पूंजी पर ब्याज। कार्यकारी पूंजी की गणना कर्मचारी लागत, प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय, मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय एवं कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की राशि को मानकर की गई है। मासिक कार्यकारी पूंजी की राशि रूपये 96.91 लाख आती है।

दिनांक 19 नवम्बर, 2010 को अधिसूचित राभाप्रेके के शुल्क तथा प्रभारों संबंधी तृतीय संशोधन के अनुसार, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज पर विचार मानदण्डीय आधार पर किया जाता है जिसकी गणना भारतीय स्टेट बैंक की वर्ष के 1 अप्रैल की आधार दर में 4 प्रतिशत जोड़कर की जाती है। तद्नुसार, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज 14 प्रतिशत (दिनांक 1 अप्रैल, 2012 को प्रभावशील आधार दर 10 प्रतिशत के अनुसार) ली गई है। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना रू. 13.57 लाख की गई है।''

आयोग द्वारा विश्लेषण (Commission's Analysis)

1.34 राभाप्रेके के वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश दिनांक 16.3.2012 के पैरा 1.35 में उल्लेख किया गया था कि *''मप्रराविमं के वित्त प्रकोष्ठ द्वारा सूचित किया गया था कि राभाप्रेके का वेतन, प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण व्ययों का भुगतान एमपीपीटीसीएल द्वारा किया जा रहा है तथा इन्हें राभाप्रेके विरूद्ध भुगतान माना जाए। इसके अतिरिक्त, राभाप्रेके की पूंजीगत व्यय निधि (Capex Fund) के बारे में, लघु अवधि खुली पहुंच क्रेताओं से प्राप्त की गई प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों की 50 प्रतिशत राशि वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा 2013–14 की पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) की वार्षिक निधि आवश्यकता के लिये पर्याप्त है। इस प्रकार, राभाप्रेके व्ययों की पूर्ति उपरोक्त व्यवस्था से की जा रही है तथा किसी प्रकार का राजस्व अन्तर (Revenue Gap) परिलक्षित नहीं हुआ है।''*

1.35 राभाप्रेके की वर्तमान याचिका में, आयोग द्वारा पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु ब्याज तथा वित्त प्रभार पर वास्तविक व्यय मात्र रू. .03 लाख (जो विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के लिये मूलतः बैंक प्रभार है) है। इसके अतिरिक्त, राभाप्रेके द्वारा कोई कार्यकारी पूंजीगत ऋण (Working Capital Loan) प्राप्त नहीं किया गया है तथा तद्नुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज हेतु किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया है। दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में पूंजीगत व्यय निधि की संचित अवशेष राशि रू. 240.41 लाख दर्शाई गई है। अतएव, याचिकाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु, प्रक्षेपित राजस्व अन्तर तथा कार्यकारी पूंजी के प्रक्षेपण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

1.36 प्रत्युत्तर में, राभाप्रेके द्वारा उनके पत्र क्रमांक 218 दिनांक 19.1.2013 द्वारा निम्नानुसार निवेदन किया गया :

''(i) मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण) विनियम, 2004 के पैरा 9.9 (ii) में प्रावधान किया गया है कि कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की राशि का भुगतान मानदण्डीय आधार पर किया जाएगा, भले ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी बाह्य अभिकरण से कार्यकारी पूंजी ऋण न भी प्राप्त किया गया हो या मानदण्डीय आंकड़ों पर आधारित कार्यकारी पूंजी ऋण से अधिक राशि प्राप्त की गई हो। वार्षिक राजस्व आवश्यकता में कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की राशि रू. 13.57 लाख का प्रक्षेपण उपरोक्त विनियम के आधार पर किया गया है। माननीय आयोग से वित्तीय वर्ष 2013–14 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अनुमोदन पर विचार किये जाने का अनुरोध है।''

(ii) पूंजीगत व्यय आवश्यकता तथा अन्तर (Capex revenue requirement and gap) :

अगले पांच वर्षों के लिये वर्षवार प्रस्तावित आवश्यकता के साथ–साथ पूंजीगत कार्यों हेतु निधि की उपलब्धता का उल्लेख परिशिष्ट–3 में संलग्न किया गया है। जैसा कि इसके अवलोकन से ज्ञात होता है, वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान पूंजीगत निधि में कतिपय कमी देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यह उल्लेख भी किया जाता है कि ''पश्चिम क्षेत्र (WR) हेतु स्काडा/ईएमई प्रणाली का प्रतिस्थापन परियोजना, मय राभाप्रेके का बैकअप संघटन (backup formation), मास्टर दूरसंचार योजना के प्रतिस्थापन का क्रियान्वयन, वित्तीय वर्ष 2014–15 में किया जाएगा तथा कुछ संबद्ध पूंजीगत कार्यो का निष्पादन जिन्हें वर्तमान में नहीं किया जा रहा है, भी इसी समय निष्पादित

किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिससे पूंजीगत निधि में कमी में और भी वृद्धि हो सकती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए, राभाप्रेके का माननीय आयोग से निवेदन है कि राभाप्रेके के पूंजी पर प्रतिलाभ, ऋण पर ब्याज, अवमूल्यन तथा अन्य आय जैसे कि पंजीकरण शुल्क, आवेदन शुल्क, लघु अवधि खुली पहुंच प्रभार, आदि को राभाप्रेके की पूंजीगत निधि को विकसित किये जाने बाबत के कारण पूर्ण प्रभारों (शत प्रतिशत) को धारित रखे जाने पर अनुमति प्रदान किये जाने बाबत विचार किया जाएं जैसा कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (RLDC) के बारे में केविनिआ द्वारा शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण के संबंध में किया जा रहा है। इससे ने केवल राजस्व के अन्तर को पाटा जा सकेगा वरन अधोसंरचना विकास को सुनिश्चित करने के बारे में आरक्षित पूंजीगत व्यय निधि (Reserve Capex fund) का सृजन भी किया जा सकेगा।''

1.37 आयोग ने राभाप्रेके के प्रस्तुतिकरण में यह पाया है कि राभाप्रेके की रू. 1162.92 लाख की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता पर विचार किया है तथा कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना करते समय उसके पास उपलब्ध मुक्त पूंजीगत व्यय निधि (free capex fund) पर विचार नहीं किया है।

1.38 मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण) विनियम, 2004, पुनरीक्षण प्रथम, 2006 (आरजी–16, वर्ष 2006) जिसे 5 मई, 2006 को अधिसूचित किया गया है, के विनियम 10.3 में कहा गया है कि *''विनियम 10 के अनुसार उपरोक्त लघु–कालीन उपभोक्ताओं एवं प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभारों से अर्जित राजस्व की पचास (50) प्रतिशत राशि राज्य भार प्रेषण केन्द्र स्वयं के द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पूंजीगत व्यय हेतु अधोसंरचना विकास के प्रयोजन से रोक ली जी जावेगी। शेष 50 प्रतिशत राजस्व को अनवुर्ती वर्ष हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क तथा प्रभारों की गणना हेतु माना जावेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र इस प्रकार अर्जित की गई राशियों का पृथक लेखा संधारित करेगा तथा आयोग द्वारा उसकी वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अवधारण के समय उसे किये गये धन विनियोग का विवरण प्रकट करना होगा।''*

1.39 वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभार रू. 230.00 लाख होना संभावित है। वर्तमान याचिका में वार्षिक राजस्व आवश्यकता के प्रयोजन से, अन्य प्रभारों से राजस्व की गणना करते समय, राभाप्रेके द्वारा प्रचालन तथा अनुसूचीकरण की 50 प्रतिशत राशि मानी गई है अर्थात्, रूपये 115 लाख। पूर्व के वर्षों के दौरान भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था। पूंजीगत व्यय के संबंध में राभाप्रेके का वास्तविक व्यय उपलब्ध पूंजीगत व्यय निधि से काफी कम है। इसी कारण से दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में राभाप्रेके के पास रूपये 240.41 लाख की पूंजीगत व्यय निधि की संचिति शेष (Cumulative balance) राशि उपलब्ध है।

कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on working capital)

1.40 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, कार्यकारी पूंजीगत ब्याज की गणना निम्नानुसार की गई है :

तालिका : 15 वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (राशि लाख रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	राभाप्रेके द्वारा दायर किये गये अनुसार	मप्रविनिआ द्वारा अनुमोदित किये गये अनुसार
1	शुद्ध वार्षिक राजस्व आवश्यक (Net ARR)	1162.92	803.84
2	मासिक व्यय (वार्षिक राजस्व आवश्यकता का 1/12 वां भाग)	96.91	66.99
3	घटायें : पूंजीगत व्यय निधि का संचिति शेष (अन्तिम तुलन पत्र के अनुसार)	0.00	240.41
4	कार्यकारी पूंजी का आवश्यकता (2–3)	96.91	(–) 173.42
5	**कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (14 प्रतिशत की दर से)**	**13.57**	**0.00**

1.41 आयोग की अभ्युक्ति है कि मुक्त रक्षित धन (free reserves) (अर्थात् पूंजीगत व्यय हेतु उपलब्ध बिना व्यय की गई संचिति निधि के रूप में धन राशि) राभाप्रेके की कार्यकारी पूंजी आवश्यकता से कहीं अधिक है। आयोग द्वारा उपरोक्त दर्शाये गये कारणों से पूर्व टैरिफ आदेशों में कार्यकारी पूंजी पर किसी ब्याज राशि का अनुमोदन नहीं किया गया था। अतएव, आयोग इस आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज को स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा है। आयोग ने राभाप्रेके द्वारा वास्तविक रूप से कार्यकारी पूंजी पर ब्याज हेतु किये गये व्ययों पर वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु दाखिल की गई अपनी याचिका पर विचार किया है। यदि राभाप्रेके कार्यकारी पूंजी पर ब्याज हेतु वास्तविक रूप से कोई धनराशि व्यय करता है तथा इस हेतु कोई औचित्य प्रस्तुत करता है तो आयोग द्वारा इस प्रकार के दावे पर वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु सत्यापन याचिका में युक्तियुक्त जांच के उपरान्त विचार किया जा सकेगा।

अन्य–संवैधानिक करों, उपकरों, आदि का भुगतान (Other- Payment of Statutory Taxes, Cess, etc.)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)

1.42 याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य रूप से निम्न निवेदन किया गया :

''राभाप्रेके द्वारा राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों से उद्ग्रहित तथा संग्रहित किये जाने वाले शुल्क तथा प्रभारों की गणना में संवैधानिक करों, उद्ग्रहण (levy) उपकर (Cess) अथवा शासन अथवा अन्य किसी संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा लगाया गया अन्य किसी प्रकार का महसूल (Impost) शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार के व्यय, यदि कोई हों, तो राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा इनका समायोजन अनुवर्ती वर्षों में किया जाएगा।''

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

1.43 आयोग राभाप्रेके का निवेदन स्वीकार करता है। इस प्रकार के करों, उपकरों आदि का संव्यवहार उचित रूप से इन्हें वास्तविक रूप से वहन किये जाने पर तथा सत्यापन याचिका में इनका दावा किये जाने पर किया जाएगा।

अन्य आय (Other Income)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)

1.44 याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य रूप से निम्न निवेदन किया गया :

''रूपये 165.00 लाख की अन्य आय का पूर्वानुमान लघु–अवधि खुली पहुंच क्रेताओं (STOAC) से प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों, संयोजन प्रभारों तथा आवेदन प्रक्रिया शुल्क से आय के रूप में किया गया है। इस राशि का आकलन चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध के दौरान प्राप्त की गई वास्तविक राशि तथा हाल ही में क्रियाशील की गई स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त की गई आय से किया गया है।''

विनियमों में किये गये प्रावधान (Provisions of Regulations)

1.45 विनियमों की कण्डिकाओं 9.14 तथा 10.00 में प्रावधान किया गया है कि

''आयोग द्वारा अवधारित राज्य भार पारेषण केन्द्र प्रचालनों हेतु समस्त प्रभारों से आय को आय माना जावेगा। इस आय में समस्त शुल्क प्रभार, जैसे के आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किये जावें, सम्मिलित होंगे।''

प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभार (Operation and Scheduling Charges)

वे क्रेतागण जो दीर्घ–कालीन अनुबंध सम्पादित कर रहे हैं, को प्रणाली प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभारों का भुगतान नहीं करना होगा परन्तु, उन्हें प्रत्येक बार अनुसूचीकरण के पुनरीक्षण किये जाने पर प्रभारों का भुगतान, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाए, करना होगा।

प्रणाली प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभार जैसा कि वे आयोग द्वारा प्रति सौदा (ट्रांसेक्शन) प्रति दिवस अथवा उसके किसी भाग के आधार पर अवधारित किये जाएं, समस्त लघु–कालीन, खुली पहुंच क्रेतागणों द्वारा जो राज्य पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली का उपयोग कर रहे हों, प्रति माह अग्रिम में भुगतान करना होंगे। उन्हें प्रत्येक बार अनुसूची के पुनरीक्षण किये जाने बाबत प्रभारों के भुगतान जैसे कि वे आयोग द्वारा अवधारित किये जाएं, करना होंगे।

विनियम 10 के अनुसार उपरोक्त लघु–कालीन उपभोक्ताओं से प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभारों से अर्जित राजस्व की पचास (50) प्रतिशत राशि राज्य भार प्रेषण केन्द्र स्वयं के द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पूंजीगत व्यय हेतु अधोसंरचना विकास के प्रयोजन से रोक ली जाएगी। शेष 50 प्रतिशत राजस्व को अनुवर्ती वर्ष हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क तथा प्रभारों की गणना हेतु माना जाएगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र इस प्रकार अर्जित की गई राशियों का पृथक लेखा संधारित करेगा तथा आयोग द्वारा उसके वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अवधारण के समय उसे किये गये धन विनियोग का विवरण प्रकट करना होगा।''

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

1.46 राभाप्रेके ने याचिका में अन्य आय का प्राक्कलन निम्नानुसार किया गया है :

तालिका : 16 अन्य आय (राभाप्रेके द्वारा दाखिल किये गये अनुसार)

सरल क्रमांक	विवरण	राशि (लाख रूपये में)
1	अनुसूचीकरण तथा प्रचालन व्यय (50 प्रतिशत आय के रूप में)	115.00
2	संयोजन प्रभार (connectivity charge)	10.00
3	लघु–अवधि खुली पहुंच क्रेताओं (SOTA) से प्राप्त आवेदन प्रक्रियाबद्ध किये जाने संबंधी शुल्क	40.00
	संयोजन तथा प्रचालन प्रभारों से कुल आय	**165.00**

1.47 आयोग द्वारा पाया गया कि पिछले तीन वर्षों के तुलन–पत्रों (balance sheets) के अनुसार वास्तविक अन्य आय निम्नानुसार है :

तालिका : 17 **(रूपये लाख में)**

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2009–10	वित्तीय वर्ष 2010–11	वित्तीय वर्ष 2011–12
1	सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार मानी गई वास्तविक अन्य आय	123.14	138.01	151.54

राभाप्रेके वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश दिनांक 16–3–2012 के पैरा 1.52 के अनुसार, राभाप्रेके द्वारा रू. 120 लाख की अन्य आय दाखिल की गई थी परंतु आयोग द्वारा रू. 150 लाख की अन्य आय अनुमोदित की गई है।

1.48 उपरोक्त उल्लेखित स्थिति के अनुसार आयोग की अभ्युक्ति है कि दिनांक 31.3.2010 की स्थिति में अन्य आय की रू. 123.14 लाख की राशि दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में बढ़ कर रू. 151.54 लाख हो गई है। अतएव, अन्य आय में वृद्धि के पिछले रूझान को दृष्टिगत रखते हुए आयोग वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु राभाप्रेके हेतु **रू. 180.00 लाख** की अन्य आय हेतु अनुमोदन केवल इस आदेश के प्रयोजन हेतु प्रदान करता है। तथापि, इन शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक आय पर विचार तथा समायोजन सत्यापन प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा।

अकेक्षित लेखों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु जारी राभाप्रेके टैरिफ आदेश का सत्यापन (True up of SLDC order for FY 2011-12 based on Audited Accounts)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)

1.49 याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य रूप से निम्न निवेदन किया गया :

''वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु कर्मचारी लागत, प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय, जैसा कि इन्हें वित्तीय वर्ष 2013–14 की याचिका के प्रपत्रों में दर्शाया गया है,

वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु राभाप्रेके के प्रमाणित वित्तीय विवरण–पत्रों पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त निवेदन किया गया है कि तुलन–पत्र, लाभ तथा हानि लेखा तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु वित्तीय विवरण–पत्र की टिप्पणियों में दर्शाये गये तथा याचिका के प्रपत्रों में दर्शाये गये आंकड़ों में अन्तर निम्न कारणों से है :

तालिका : 18 (राशि लाख रूपये में)

विवरण	वित्तीय विवरण		याचिका		अन्तर	अभ्युक्ति
	टीप क्रं	राशि	प्रपत्र क्रं	राशि		
कर्मचारी व्यय	10	634.37	F4	609.05	25.32	स्पष्टीकरण 1
प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	12	56.16	F5	39.93	16.23	स्पष्टीकरण 2
राभाप्रेके प्रभार	8	882.85	F1	790.14	92.71	स्पष्टीकरण 3

स्पष्टीकरण (Explanation)

1) प्रपत्र F–4 में प्रदर्शित कर्मचारी लागत राशि रू. 609.05 लाख में वास्तविक कर्मचारी लागत रू. 592.85 लाख तथा प्रशिक्षण व्यय रू. 16.20 लाख शामिल हैं। वित्तीय विवरण–पत्र की टीप क्रमांक 10 में उल्लेखित रू. 634.37 लाख की कर्मचारी लागत में वास्तविक कर्मचारी लागत रू. 592.85 लाख तथा लगभग रू. 41.52 लाख की राशि वेतन पुनरीक्षण के बकाया राशि (arrears) के बतौर शामिल है जिसका उल्लेख याचिका के प्रपत्र F–4 में नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, रू. 16.20 लाख का प्रशिक्षण व्यय प्रपत्र F–4 में याचिका के मानक प्रारूप के अनुसार दर्शाया गया है परंतु इसे प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (A & G Expenses) के रूप में माना गया है तथा इसे वित्तीय विवरण–पत्र की टीप–12 में शामिल किया गया है। अतएव, रू. 609.05 लाख की वास्तविक कर्मचारी लागत, जैसा कि इसका उल्लेख प्रपत्र F–4 में किया गया है का सत्यापन के बतौर दावा किया गया है।

2) वित्तीय विवरण–पत्र की टीप–12 में उल्लेखित रू. 56.16 लाख के प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय में रू. 39.93 लाख के विभिन्न प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय, रू. 0.03 लाख के बैंकिंग प्रभार तथा रू. 16.20 लाख के प्रशिक्षण व्यय शामिल किये गये हैं। प्रपत्र F–5 में दर्शाये गये रू. 39.93 लाख के प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय बैंकिंग प्रभारों तथा प्रशिक्षण प्रभारों को छोड़कर हैं क्योंकि बैंकिंग प्रभारों को प्रपत्र F–8 तथा प्रशिक्षण प्रभारों को प्रपत्र F–4 में प्रदर्शित किया गया है। अतएव, रू. 39.93 लाख के प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय जैसा कि इनका उल्लेख प्रपत्र F–5 में किया गया है, सत्यापन हेतु दावा किये गये वास्तविक व्यय हैं।

3) राभाप्रेके प्रभारों में शामिल है शुल्क तथा प्रभारों से प्राप्त राजस्व (अर्थात् तीन विद्युत वितरण कम्पनियों तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र से प्राप्त किया गया) तथा अन्य प्रभारों (अर्थात्, अनुसूचीकरण तथा प्रचालन, संयोजन तथा आवेदन प्रक्रिया शुल्क) से प्राप्त राजस्व प्रपत्र F–1 के दर्शायी गई रू. 790.14 लाख की राशि में शामिल है रू. 92.72 लाख की राशि जो अनुसूचीकरण तथा प्रचालन प्रभारों का 50 प्रतिशत है। मप्रविनिआ केन्द्र (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण) विनियम 2004 की कण्डिका 10.3 के अनुसार, अनुसूचीकरण तथा प्रचालन के 50 प्रतिशत प्रभारों को आय माना जाएगा तथा अवशेष 50 प्रतिशत राशि को अधोसंरचना विकास हेतु धारित रखा जाएगा। तद्नुसार, रू. 185.43 लाख के अनुसूचीकरण तथा प्रचालन प्रभारों को दो बराबर भागों में प्रदर्शित किया गया है अर्थात् 50 प्रतिशत आय के रूप में तथा 50 प्रतिशत भाग

जिसे पूंजीगत व्यय (capex) हेतु धारित रखा गया है। वित्तीय विवरण–पत्र की टीप–8 में दर्शाई गई रू. 882.85 लाख की राशि में कुल अनुसूचीकरण तथा प्रचालन प्रभारों हेतु रू. 185.43 लाख की राशि भी शामिल है। वित्तीय विवरण–पत्र की टीप–8 में रू. 92.71 लाख की वृद्धि वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान प्राप्त किये गये अनुसूचीकरण तथा प्रचालन प्रभारों के शत प्रतिशत लेखांकन के कारण है। अतएव, प्रपत्र F–1 में दर्शाई गई रू. 790.14 लाख की राशि वित्तीय वर्ष 2011–12 की वास्तविक आय है, जिसका दावा सत्यापन हेतु किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2011–12 के व्ययों के विवरण जिन्हें वार्षिक राजस्व आवश्यकता में अनुमोदित किया गया है तथा अंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक व्ययों की वित्तीय वर्ष 2013–14 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में पुनर्मिलान/सत्यापन को निम्न तालिका में सारबद्ध किया गया है :

तालिका : 19 वित्तीय वर्ष 2011–12 के आदेश के साथ वित्तीय वर्ष 2011–12 के लेखों का सत्यापन : व्यय संबंधी

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2011–12 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में अनुज्ञेय किये गये व्यय	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु याचिका में दाखिल किये गये वास्तविक व्यय	अन्तर {अनुज्ञेय किये गये (–) वास्तविक} जिनका पुनर्मिलान किया जाना शेष है
कर्मचारी लागत	675.15	609.05	66.10
प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	85.09	39.93	45.16
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	215.98	195.82	20.16
ब्याज तथा वित्त प्रभार	0	0.03	–0.03
योग	976.22	844.83	131.39

अन्य शुल्क तथा प्रभारों से आय (Income from other fee and charges)

अन्य शुल्क तथा प्रभारों से राजस्व में शामिल है अनुसूचीकरण तथा प्रचालन प्रभार, संयोजन प्रभार तथा अनुमोदित आवेदन प्रक्रिया प्रभार जिन्हें आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतुरू. 150 लाख अनुमोदित किया गया था। इसके विरूद्ध वास्तविक आय की गणना रू. 138.07 लाख की गई है जिन्हें निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका : 20 **(राशि लाख रूपये में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता में अनुज्ञेय किये गये व्यय	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु वास्तविक व्यय	अन्तर {अनुज्ञेय किये गये (–) वास्तविक} जिनका पुनर्मिलान किया जाना शेष है
अनुसूचीकरण तथा प्रचालन प्रभारों का 50 प्रतिशत	150	92.72	57.28
संयोजन प्रभार		10	–10.00
आवेदन प्रभार		35.35	–35.35
उप–योग	**150**	**138.07**	**11.93**
प्रपत्र F2 में उल्लेखित की गई अन्य विविध प्राप्तियां	0	13.47	–13.47
कुल योग	**150**	**151.54**	**–1.54**

अन्य विविध आय राशि रू. 13.47 लाख में शामिल है रू. 12.22 लाख का पुराने अनुपयोगी वातानुकुल संयंत्र का विक्रय मूल्य (Scrap sale)। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु पुनर्मिलान तथा समायोजित की जाने जाने वाली शुद्ध राशि की गणना {131.39–(–1.54} अर्थात् रू. 132.73 लाख की गई है।

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

1.50 आयोग द्वारा अभ्युक्ति की गई कि दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में तुलन–पत्र एमपीपीटीसीएल के प्रति रू. 67.55 लाख का दीर्घ आरक्षित राशि दायित्व तथा रू. 2185.79 लाख लघुकालीन दायित्व एवं रू. 423.99 लाख का रक्षित तथा आधिक्य (reserve and surplus) प्रदर्शित करता है। याचिकाकर्ता से उपरोक्त दायित्वों के संबंध में विवरण चाहे गये।

1.51 प्रत्युत्तर में राभाप्रेके ने अपने पत्र क्रं. 218 दिनांक 19.01.2013 द्वारा निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया :

''एमपीपीटीसीएल के दीर्घकालीन दायित्व में शामिल है राभाप्रेके की परिसम्पत्तियों की शुद्ध खण्ड (net block) की रू. 67.55 लाख की राशि (परिसम्पत्तियों के सकल खण्ड रू. 242.80 लाख में से संचित अवमूल्यन की रू. 175.25 लाख की राशि घटा कर) जिसे मप्र शासन की अधिसूचना क्रमांक 292 दिनांक 12 जून 2008 द्वारा अधिसूचित किया गया है। एमपीपीटीसीएल के लघु कालीन दायित्व में शामिल है एमपीपीटीसीएल द्वारा राभाप्रेके की ओर से सामग्री प्रदायकर्ता/ठेकेदारों को किया गया भुगतान तथा एमपीपीटीसीएल द्वारा राभाप्रेके के कर्मचारियों के वेतन, आदि की राशि के भुगतान का अन्तरण। चूंकि दिनांक 31 मार्च, 2012 तक प्रचलित नगद प्रवाह क्रियाविधि (Cash Flow Mechanism) के अनुसार राभाप्रेके द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों तथा मप्रराविमं से किसी प्रकार का भुगतान प्राप्त नहीं किया था (केवल मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि. भोपाल से वित्तीय वर्ष 09–10 हेतु राभाप्रेके का शुल्क तथा प्रभार के एक भुगतान को छोड़कर)। समस्त निधि एमपीपीटीसीएल के माध्यम से अन्तरित की गई थी, अतएव एमपीपीसीटीएल के प्रति दायित्व लेखा पुस्तकों में प्रकट हो रहा है। जबकि दूसरी ओर विद्युत वितरण कम्पनियां वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2011–12 की अवधि हेतु राभाप्रेके को भुगतानयोग्य राभाप्रेके शुल्क तथा प्रभारों के प्रति ऋणी (Debtor) के रूप में प्रकट हो रही है। एमपीपीटीसीएल के प्रति दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में दायित्वों के संबंध में विवरण (दीर्घ अवधि तथा लघु अवधि हेतु) परिशिष्ट–4 में दर्शाया गया है। तुलन–पत्र में प्रकट हो रही आरक्षित तथा आधिक्य निधि संचित लाभ है जिसमें वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 हेतु पूंजीगत व्यय निधि तथा सत्यापन राशि शामिल है।

1.52 राभाप्रेके द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तुत किये गये तुलन–पत्र तथा कच्चे चिट्ठे के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किये गये तर्क न्यायसंगत प्रतीत होते हैं। आयोग द्वारा राभाप्रेके के निवेदन पर विचार कर **रू. 132.93 लाख** के पुनर्मिलान की शुद्ध राशि (वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु सत्यापन) को वित्तीय वर्ष 2013–14 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में समायोजित किया जाता है।

वार्षिक राजस्व आवश्यकता की संक्षेपिका (Summary of ARR)

153. उपरोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु राभाप्रेके की अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता को निम्न तालिका में सारबद्ध किया गया है :

तालिका : 21 वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सार

सरल क्रमांक	विवरण	राभाप्रेके की याचिका अनुसार	मप्रविनिआ द्वारा अनुमोदित
1	शुद्ध कर्मचारी व्यय (सेवान्त प्रसुविधाओं को छोड़कर)	795.20	792.62
2	शुद्ध प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	99.58	69.58
3	शुद्ध मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	254.57	254.57
4	अवूल्यन/अवक्षयण	0.00	0.00
5	ऋणों पर ब्याज	0.00	0.00
6	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	13.57	0.00
7	पूंजी पर प्रतिलाभ	0.00	0.00
8	आय कर	0.00	0.00
9	**कुल राजस्व व्यय**	**1162.92**	**1116.77**
10*	(घटायें) : अन्य आय	165.00	180.00
11*	(घटायें) : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु सत्यापन राशि	132.93	132.93
12	**वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु शुद्ध वार्षिक राजस्व आवश्यकता**	**864.99**	**803.84**

*याचिकाकर्ता द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में दाखिल करते समय इस पर विचार नहीं किया है।

वार्षिक राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों का आवंटन

1.54 याचिका के प्रपत्र F–1 में, राभाप्रेके ने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु 9055 मेगावाट क्षमता आवंटन दाखिल किया है। यह क्षमता राभाप्रेके आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु जारी वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश दिनांक 16.3.2012 की क्षमता के अनुरूप है। इस बीच, मध्यप्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.3.2013 द्वारा मप्र शासन ने विद्युत उत्पादन क्षमता का पुर्नावंटन उक्त तिथि की स्थिति में राज्य की तीन विद्युत वितरण कम्पनियों को किया जा चुका है। एमपीपीटीसीएल ने अपने पत्र क्रमांक 2397 दिनांक 26.3.2013 द्वारा पारेषण प्रणाली की पुनरीक्षित क्षमता दीर्घ अवधि क्रेताओं को वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु 10530 मेगावाट के रूप में अपनी बहुवर्षीय टैरिफ याचिका (पी–06/2013) में की गई है। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु पारेषण बहुवर्षीय टैरिफ टैरिफ आदेश दिनांक 2.4.2013 इसी क्षमता पर विचार करते हुए जारी किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु राभाप्रेके के टैरिफ आदेश में भी इसी पारेषण क्षमता पर विचार किया गया है।

1.55 मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम) 2006 के विनियम 11.2 के अनुसार, दीर्घ–अवधि अनुबंध करने वाले वैयक्तिक अनुज्ञप्तिधारियों तथा खुली पहुंच क्रेताओं हेतु राभाप्रेके प्रभारों का आवंटन आयोग द्वारा अवधारित कुल पारेषण क्षमता के अंशदान आवंटन के अनुपात में किया जाएगा। तद्नुसार, वार्षिक राभाप्रेके प्रभारों की गणना निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है :

तालिका : 22 वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु दीर्घ–अवधि खुली पहुंच क्रेताओं हेतु वार्षिक राभाप्रेके प्रभार

सरल क्रमांक	विवरण	दीर्घ अवधि खुली पहुंच क्रेता				योग
		पूर्व क्षेत्र विविकं	पश्चिम क्षेत्र विविकं	मध्य क्षेत्र विविकं	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, इंदौर	
1	वार्षिक राभाप्रेके प्रभारों का योग (लाख रूपये में)					803.84
2	पारेषण क्षमता का दीर्घ अवधि आवंटन (मेगावाट में) (वित्तीय वर्ष 2013–14 की पारेषण टैरिफ याचिका के अनुसार)	3141.41	4030.38	3346.21	12.00	10530.84
3	दीर्घ–अवधि खुली पहुंच क्रेताओं द्वारा भुगतानयोग्य वार्षिक राभाप्रेके प्रभारों की राशि (लाख रूपये में)	239.81	307.67	255.44	0.92	803.84
4	दीर्घ–अवधि खुली पहुंच क्रेताओं द्वारा भुगतानयोग्य वार्षिक राभाप्रेके प्रभारों की राशि (रूपये/मेगावाट में)					7633.81

शुल्क तथा प्रभारों की संक्षेपिका (Summary of Fees & Charges)

1.56 मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण–प्रथम), 2006 के विनियम 12.5 के अनुसार यदि वर्तमान में लागू शुल्क तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्वों तथा आगामी वित्तीय वर्ष की राजस्व आवश्यकता के मध्य कोई राजस्व अंतर परिलक्षित हो तो ऐसी दशा में राज्य भार प्रेषण केन्द्र एक प्रस्ताव भी समाहित किया जाएगा जिसमें यह प्रस्तावित किया जाएगा कि उनके द्वारा राजस्व अंतर को किस प्रकार घटाया जाएगा। यह माना गया है कि शुल्क तथा प्रभारों का विद्यमान स्तर राभाप्रेके के वार्षिक व्ययों की आपूर्ति हेतु पर्याप्त होगा। तालिका राभाप्रेके की सेवाओं के उपयोग हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित भार तथा प्रभारों को सारबद्ध करती है :

तालिका : 23 वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विभिन्न राभाप्रेके व प्रभारों की प्रयोज्यता एवं उद्ग्रहण

स. क्रं	निम्न हेतु प्रयोज्य शुल्क/प्रभार	अनुबंध के प्रकार के आधार पर क्रेता श्रेणी को प्रयोज्यता								
		दीर्घ अवधि			लघु अवधि			नवीनीकरण ऊर्जा स्त्रोत		
		हां/नहीं	आवृत्ति	राशि (रू.)	हां/नहीं	आवृत्ति	राशि (रू.)	हां/नहीं	आवृत्ति	राशि (रू.)
1	संयोजन शुल्क	हां	एक बार	1,00,000	हां	एक माह हेतु एक बार में अथवा उसके अंश हेतु	5,000	हां	केवल एक बार भले वह दीर्घ अवधि अथवा लघु अवधि हो	5.000
		अतिरिक्त लघु अवधि खुली पहुंच हेतु कोई प्रभार देय नहीं होंगे								
2	वार्षिक राभाप्रेके प्रभार	हां	दो अर्द्ध वार्षिकी किस्तों	7633.81 प्रति मेगावाट	नहीं	–	–	नहीं	–	–

			में	आवंटित पारेषण क्षमता का						
3	प्रचालन तथा अनुसूचीकरण	नहीं	–	–	हां	प्रति लेनदेन प्रतिदिवस अथवा उसके अंश हेतु	3000	नहीं	–	–
4	अनुसूची की पुनरीक्षण	हां	प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु	3000	हां	प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु	3000	नहीं	–	–

अध्याय–2

आयोग के दिशा–निर्देश

(Commission's Directives)

2.1 आयोग निर्देश देता है कि राज्यभार प्रेषण केन्द्र द्वारा इन्स्टीटयूट ऑफ चार्टड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया (ICAI) द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण–पत्रों को तैयार करते समय विनिर्दिष्ट समस्त लेखांकन मानकों का अनुसरण किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित दिनांकित तथा प्रमाणित वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र, वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु राभाप्रेके का तुलन–पत्र (बैलेंसशीट), लाभ तथा हानि लेखा को सम्मिलित करते हुए, आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु राभाप्रेके प्रभारों संबंधी याचिका के साथ प्रस्तुत किये जाएं।

2.2 आयोग राज्य भार प्रेषण केन्द्र को पूंजीगत व्यय कार्यों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण किये जाने के निर्देश प्रदान करता है तथा पूंजीगत व्यय के संबंध में अध्याय में उठाये गये मुद्दों के पूर्ण विवरणों के साथ आगामी याचिका के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश देता है।

2.3 आयोग राभाप्रेके को मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उदग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम), 2006 के विनियम 10 की अर्हता के अनुसार, वर्ष 2007–08 से किये गये वास्तविक व्यय पूंजीगत व्यय हेतु पृथक लेखा विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश देता है।

2.4 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्राप्त किये जा रहे प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों, संयोजन प्रभारों तथा प्रक्रियाबद्ध किये जाने संबंधी शुल्क में से पूंजीगत व्यय हेतु अंकित की गई निधि से अर्जित ब्याज के संबंध में विवरण आगामी वर्ष की याचिका के साथ आयोग को पूर्ण विवरणों सहित, प्रस्तुत किये जाएं।

2.5 राभाप्रेके द्वारा उप–भाप्रे केन्द्रों के वर्षवार विवरण उक्त वर्ष का उल्लेख करते हुए, जिसके अंतर्गत वे व्यय एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड से राभाप्रेके लेखों में पृथक किये गये हैं, प्रस्तुत किये जाएं। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु राभाप्रेके द्वारा शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण हेतु याचिका दायर किये जाने से पूर्व एमपीपीटीसीएल के सक्षम अधिकारी का एक प्रमाण पत्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

2.6 आयोग राभाप्रेके को अपनी अन्य आय में वृद्धि करने तथा प्रचालन एवं संधारण व्ययों को निर्धारित सीमा के अन्तर्गत रखे जाने बाबत कदम उठाये जाने के संबंध में निर्देश देता है। इस संबंध में किये गये प्रयासों के विवरण तथा इनके परिणाम के बारे में आयोग को आगामी वर्ष की याचिका में प्रस्तुत किये जाएं।

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,